GOVERNMENT MOTION
Notion for consideration of National Charter for Children, 2003

मानव संसाधन विकास मंत्री (**डा. मुरल मनोहर जोशी**) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सभा 5 दिसम्बर, 2002 को राज्य सभा पटल पर रखें गए राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 पर विचार करें।"

उपसभापति महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण चार्टर है। हमारे संविधान में अध्याय तीन और चार में बच्चों के हितों का बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है और बहुत चितांए व्यक्त की गयी है। हमारे संविधान में राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, इसकी व्यवस्था की गयी है और 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियुक्त न किया जाए, इसकी भी संविधान के व्यवस्था की गयी है। बच्चे की सुकुमार आयु का शोषण न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश न किया जाए जो उन बच्चों के स्वास्थ्य एंव सामर्थ्य कें प्रतिकूल हो । बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करने की बात भी हमारे संविधान में कही गयी है और युवकों को शोषण एंव नैतिक तथा भौतिक स्वच्छंदता के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने की भी बात हमारे संविधान में कही गयी है ।

इसके बाद हमने यह भी कहा है कि जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात् तथा विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवांए बच्चों को मिले , इसके लिए भी राज्य प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से कानून भी हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं जिनसे इस सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत हैं और एक राष्ट्रीय बाल नीति भी हमारे देश के सामने हैं । ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण था कि हम एक राष्ट्रीय बाल चार्टर का निर्माण करते और उस बाल चार्टर पर देश भर में बहस करते । हमारी सरकार ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस बाल चार्टर को अनुमति दी और उसके बाद इस सदन में हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब यह जरूरी है कि इस राष्ट्रीय बाल चार्टर के विभिन्न पक्षों पर और उससे बच्चों के हितों का जो सरंक्षण हम करेंगे, उसके बारे में हम यहां खुलकर विचार करें और देश को यह बताएं कि सरकार और यह सदन अपने बच्चों के भविष्य के प्रति किस प्रकार चिंतित हैं ।

उपसभापति महोदया, बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चो की सुरक्षा, संरक्षा और उनका विकास सुनिश्चित रूप से हो, कोई भी बच्चा वंचित न रहे यह हमारे देश के संविधान की मंशा है, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की मंशा है और हमारे देश के सभी प्रबुद्ध विचारकों की मंशा है ।हमने इस चार्टर में बच्चों के लिए उत्तरजीविका जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है,

स्वास्थ्य एंव पोषण कें संवर्द्धित उच्च मानकों के लिए व्यवस्था की है, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं और सुरक्षा का आश्वासन इस चार्टर में दिया है और खेल तथा विश्राम बच्चों के लिए आवश्यक है, उसकी व्यवस्था की है । प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, जिसकों "अर्ली चाइल्ड केयर" कहते हैं, उसके बारे में यह चार्टर उल्लेख करता है । निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो चुका है और बारे में एक कानून और बनने वाला है लेकिन उसके बारे में भी यह चार्टर अपने सरोकार व्यक्त करता हैं।

इसी तरह से बच्चों का आर्थिक शोषण न हो, उनका दुरूपयोग न हो, इसकी व्यवस्था भी इस चार्टर में है और बालिकाओं के सरंक्षण की व्यवस्था भी इसमें हैं। बाल-श्रम न होने पाए, बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम जो उनकी पढ़ाई –लिखाई और उनके विकास में बाधा डालता हो, उससे रोकने के लिए भी सरकार क्या कदम उठाएगी और कैसे करना चाहिए, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है । किशोर और किशोरियों को हम सशक्त बनाएं, इसकी भी इसमें व्यवस्था की गई हैं। खास तौर पर किशोरियों के बारे में मुझे यह कहना है कि वे भविष्य की माताएं होती है और यदि किशोरी बालिकाओं की चिंता ठीक से न की जाए तो भविष्य में वह एक दुर्बल माता बनती है। इसलिए किशोरी बालिकाओं की उस समय से ही हम चिंता करें, इसकी व्यवस्था इसमें हैं। इसके लिए सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए है, वे भी इस बहस में आपके सामने आएंगे।

जो माताएं हैं , प्रसव के पहले गर्भावस्था में और उसके बाद, बालक की दृष्टि से उनकी चिंता करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनकी चिंता नहीं होगी तो बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे का विकास ठीक नहीं होगा। इसलिए भले ही आप कहें कि वह माता बालक या बालिका नहीं है लेकिन फिर भी उसके स्वास्थ्य की रक्षा और देख-रेख करना होने वाले बच्चे की दृष्टि से जरूरी है ।

फिर इसी के साथ-साथ किसी प्रकार की विषमता न रहे बच्चो में – न लैंगिक विषमता रहे और न ही अन्य किसी प्रकाश की विषमता रहे । समानता का अधिकार, बच्चों को अभिव्यक्ति का अधिकार, वे अपनी बात कह सकें और उनको जानकारी मिल सके, इसके बारे में भी हमने इसमें प्रावधान किया है । बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार आपस में मिलकर चाहें तो अपने क्लब बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं उनके मिलने-जुलने और संगठित होने की व्यवस्था भी इसमें है और वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभाएं भी कर सकें, यह व्यवस्थाए भी इसमें मौजूदा है। बच्चे अपने व्यक्तित्व का हर तरह से सर्वागीण विकास करे – मानसिक और शारीरिक-इसकी दृष्टि से भी इस चार्टर में प्रावधान किए गए हैं।

दूसरी बात है कि हम समझते हैं कि बच्चे के लिए परिवार का होना बहुत आवश्यक है हरेक बच्चे को परिवार मिलना ही चाहिए, कोई भी बच्चा बिना परिवार के न रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पश्चिम में परिवार की जो धारणा है,

वह टूट रही है औ इसीलिए पश्चिम के समाज में जो विषमतांए पैदा हो रही है, जो विभक्त व्यक्तित्व पैदा हो रहे हैं और जो संवेदन शून्य व्यक्तियों का विकास हो रहा है, उसका एक कारण यह है कि वहां परिवार संस्था का लगभग हास हो गया है । भारत में हमने परिवार को बहुत महत्व दिया है और हम यह समझते हैं कि बच्चे की परिवार संस्था भी उतनी ही महत्पूर्ण है जितने कि अन्य सामाजिक प्रावधान है । परिवार में बच्चे का ठीकसे लालन-पालन हो, उसको ठीक से विकास की सुविधा मिले, उसको अपने स्वयं के परिवार से और अपने परिवेश से मिलकर, बांट कर रहने की उसके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो योयरिंग एंड फेयरिंग की प्रवृत्ति पैदा हो, उसको मानवीय स्पर्श मिले, उसको परिवार की सुखद अनुभूतियां मिले, तो इसलिए परिवार संस्था ठीक से काम करे, उसको हम सद्दढ़ करें, उसके बारे में भी हमने उसके अंदर कुछ व्यवस्था की है, क्योंकि बच्चे को सबसे जरूरी है कि जन्म के तुरंत पश्चात् उसको परिवार मिलना चाहिए और यह परिवार का प्रबंध किया जाना चाहिए । परिवार की संस्था को मजबूत किया जाना चाहिए । फिर अपने परिवारों से संपर्क बनाए रखने की और अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखने की और भले ही वे अगर अलग भी रहते हो, उसके माता-पिता किसी कारण से अलग भी रहते हों तो भी उसे उनका स्नेह और संपर्क मिलता रहे, इसकी भी हमने इसमे व्यवस्था की है । माता-पिता के दायित्वों को भी हमने इसमें इस रूप में मान्य किया है कि यह उनका कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चो को पालन करें। माता और पिता के समान दायित्व हैं । ऐसा नहीं है कि केवल माता का ही दायित्व है, उसमें पिता का भी दायित्व है । इसलिए उनके सामान्य दायित्वों को भी हमने इसमें मान्यता दी है । फिर विकलांग बच्चों के संरक्षण के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है और जो सीमांत, मार्जिनलाइज्ड और वंचित समुदाय है उनके बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए भी और कल्याण के लिए भी राज्य और समुदाय को हमने इसमें जिम्मेदार बनाया है । बच्चों के लिए अनुकूल कार्यविधियां सुनिश्चित की जाएं इसके लिए भी हमने इसमें व्यवस्था की है । मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें सारे देश को मिलकर विचार करना है । क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं और जब मैं ऐसा कहता हूं कि बच्चों के बारे में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए तो इस संबंध में उस एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जब मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया था । तब मैंने पढ़ी थी । वह घटना मैं अकसर बच्चों के सम्मेलन में और विशेष कर जहां अध्यापक और बच्चे सभी होते हैं, सुनाता रहता हूं। मैं सदन के सामने भी उस घटना को प्रस्तुत करना चाहूंगा । यह आजादी के पहले की घटना है। मैंने तब इस घटना में पढ़ा था कि हमारे देश के किसी स्कूल में एक प्रधानाचार्य, जो बहुत अच्छे प्रधानाचार्य थे, वे बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। उनके हर प्रकार के विकास के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। बहुत ही अनुशासित उनका विधालय था। उसकी बड़ी प्रंशसा थी । उसका निरीक्षण करने के लिए एक बार इंस्पैक्टर महोदय आए, निरीक्षक आएं। उन्होंने देखा कि विद्यालय बहुत अच्छा है । बच्चे भी बहुत सब प्रकार से साफ –सुथरे पढने के लिए तैयार है । स्कूल का भवन भी ठीक है । स्कूल में पहले प्रार्थना हुई । उस प्रार्थना के बाद उस स्कूल के हेडमास्टर ने प्रधानाचार्य ने अपना हैट उतारा

और कहा कि बच्चों तुम्हें हेड मास्टर का प्रणाम । बाकी सब तो प्रधानाचार्य की बात उनको पसंद आई, लेकिन उन्हें यह घटना पसंद नहीं आई कि प्रधानाचार्य बच्चों को हैट उतार कर यह कर रहा है कि बच्चों तुम्हे प्रधानाचार्या का प्रमाण | जब बच्चे अपनी कक्षा में चले गए तो इंसपैक्टर साहब ने हेडमास्टा को बुलाया और कहा कि यह आप क्या करना चाहते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं । आप उन्हें अनुशासनहीन बनाना चाहते हैं । अभी तो आप प्रणाम करते हैं, कल वे अपने माता-पिता से कहेंगे कि तुम हमें प्रणाम करो। कल वे अपने से किसी बड़े का आदर नहीं करेंगे । तो यह तो एक बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी । हेडमास्टर ने जो जवाब दिया वह बहुत महत्वपूर्ण जवाब था। हेडमास्टर ने कहा कि इंसपैक्टर साहब, उस जमाने में लोग 55 साल में सेवानिवृत्त हो जाते थे, आप 52-53 साल के हो गए हैं और साल दो साल में आप सेवानिवृत हो जायेंगे । अभी आप इंसपैक्टर ऑफ स्कूल्ज हैं, हो सकता है। आप डिप्टी डायरेक्टर बन जांए। इससे ज्यादा आपकी गति नहीं है, आपका प्लेटू आ गया है । यहां से आगे आप नहीं जायेंगे। मैं हेडमास्टर हूं, मैं भी अब पचास के लगभग हूं, बहुत होगा तो डिप्टी इसंपैक्टर या इंसपैक्टर ऑफ स्कूल्ज हो जाऊंगा । इसके आगे मेरी भी गति नहीं है । मेरा प्लेटू आ गया है। लेकिन ये जो सारे बच्चे बैठे हैं, कोई पांच साल का है, कोई आठ साल का है, कोई दस साल का है, इन्हें तो अभी बहुत लंबा जीवन व्यतीत करना है । मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन वैज्ञानिक बन सकता है, कौन महान चित्रकार बन सकता है, कौन महान साहित्यकार बन सकता है, कौन महान राजनीतिज्ञ बन सकता है, कौन महान कलाकार बन सकता है। मैं नहीं जानता, क्योंकि ये देश की प्रतिभा हैं तो मैं बच्चों की उम्र को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं बच्चों की प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। मैं यह समझता हूं कि हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश का हरेक बच्चा इस देश की प्रतिभा है । वह चाहे किसी गरीब बस्ती में रहता हो, स्लम में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उस बच्चे के अदंर असीम संभावनाएं हो सकती है जिसे हम आज नहीं जानते । वह संभावनाएं कब प्रकट होंगी, वह अपनी प्रतिभाओं को कितने ऊपर तक ले जा सकेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उसे हम कितने अवसर, किस प्रकार दे सकते हैं। समाज उसके लिए कितने अवसर प्रदान कर सकता है, शासन उसके लिए क्या व्यवस्थाएं कर सकता है और हम कितनी संवेदना के साथ, कितनी हार्दिकता के साथ, कितनी ममता के साथ उस बच्चें के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए न केवल शारीरिक और आर्थिक भविष्य के लिए बल्कि उसकी प्रतिभा के उत्थान के लिए कितना योगदान देते हैं ।

महोदया, आजकल के जमाने में जब हम नॉलेज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जो प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टैलेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए बच्चों की तरफ ध्यान देना और

बच्चों के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण वातावरण पैदा करना सारे समाज का काम है। महोदया, यह एक बहुत बड़ा काम है। यह केवल अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती । इस में सारे समाज की भागीदारी होना जरूरी होगा । इस केलिए हम नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन भी बना रहे हैं। हमने इस विधेयक को दूसरे सदन में प्रस्तुत कर दिया है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस चार्टर को और विधेयक दोनों को सम्मिलित कर के इस सरकार के सरोकार इन बच्चों के प्रति और उन के भविष्य के लिए प्रकट होंगे । महोदया, इसी सदन में बार-बार यह आग्रह किया गया है कि यह व्यवस्था जल्दी की जानी चाहिए और हमने जब यथास्थिति आई तो राज्य सरकारों से परामर्श किया, विशेषज्ञों से परामर्श किया और उसके पश्चात् इस चार्टर को और इस विधयक को बनाया ।

महोदया, मैं एक बात इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बच्चे को अधिकार और कर्त्तव्य दोनों का विवेक होना चाहिए । केवल अधिकार के आधार पर ही हम कोई प्रावधान करेंगे तो उसमें हमेशा तनाव रहेगा । अधिकार और कर्त्तव्य दोनों में सामंजस्य होना चाहिए । इन दोनों में एक संतुलन की जरूरत है । हमारे देश भारत में इस संस्कृत की एक पुरानी लोकोक्ति में प्रदर्षित किया गया है जिस का अर्थ हैं कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन-पालन किया जाना चाहिए । उस को हर प्रकार से ममता, स्नेह और जितनी भी सुविधाएं दे सकते हैं, दी जानी चाहिए। उसके साथ आपका बड़े स्नेह और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए । फिर 5 साल से 16वें साल के पहले तक उसको डिसीप्लीन किया जाना चाहिए । उसको बताया जाना चाहिए कि अच्छा क्या है , बुरा क्या है और जीवन के मतलब क्या है यानी तुम्हारे जीवन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसको बताया जाना चाहिए कि तुम अपने परिवेश को समझों और 16 साल की उम्र में कहा गया है कि "प्राप्तेषु षोडसे, पुत्र मित्र बदाचरे ।" पुत्र और पुत्री के 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ एक सहयोगी का व्यवहार किया जाना चाहिए । उसके व्यवहार, उसके सुझाव और कामों में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि वह अब वह आप के मित्र के तौर पर है महोदया, हमारा उद्देश्य भी इसी प्रकार से हैं कि बच्चों के साथ एक ऐसा सामाजिक संतुलन पैदा करें जिसे, आजकल early child care भी कहा जाता है, जिसमें 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों के साथ बहुत सद्व्यहारपूर्ण और प्रेम का व्यवहार किया जाना ताकि उनको लगे कि वह एक अच्छे समाज में आए हैं। जन्म से पहले बच्चा मां की सुरक्षित कोख में रहता है और फिर अचानक वह इस संसार में आता है। उस समय वह अनेक प्रकार के तनावो, संक्रमणों और संकटों में उपस्थित किया जाता है तो उस बच्चे के मन में यह बात जानी चाहिए कि वह समाज में भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि मां की कोख में है अर्थात् पहले 5 साल तक उसे बहुत ही श्रेष्ठ और मृदु व्यवहार मिलना चाहिए । उसके साथ हमारे जितने भी कार्यकलाप हों, वह बड़े सौम्य हों, टेंडर हों । इसलिए early child care का जो सिद्वांत है , वह मेरी निगाह में यह होना चाहिए कि हम 5 वर्ष की अवधि तक उसके

लिए सब तरह के प्रबंध करें। लेकिन महोदया, यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने सालों के बाद अभी तक हम बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के लिए early child care प्रस्तावित नही कर सके हैं। अब इस चार्टर में हम यह अपेक्षा करते हैं और इस के द्वारा हम यह व्यवस्था बनाना चाहते है कि 5 वर्ष के समय तक बच्चा यह समझे कि वह एक अच्छे, सभ्य और शालीन समाज के अंदर रह रहा हैं। वह यहां सुरक्षित हैं और उसे यहां किसी प्रकार की प्रताडना नहीं है। उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं है ताकि वह समाज के प्रति एक अच्छा, संवेदनशील व्यैक्ति बने |क्योंकि अगर बहुत बचपन में ही उसके मन में प्रति मनोवैज्ञानिक दुर्भाव पैदा हो गया तो फिर वह आगे चलकर उसकी पर्सनेलिटी का, उसके व्यक्तिगत का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हम यह चाहते हैं कि बच्चे को बचपन बिताने का और बच्चा बना रहने का भी एक अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे या यहां बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से हरेक कहेगा कि मैं अपने बचपन में लौट जाना चाहता हूं। हरेक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे उसका बचपन लौटा दो। चाहे वह जैसी भी हालत में रहा हो लेकिन तब भी वह अपने बचपन को भूलता नहीं है और बचपन को अपनी एक बहुत ही सुदर स्मृति के रूप में मानता है। यह बात दूसरी है कि जिनके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आई हों, वे शायद न कहें, लेकिन अधिकांश से आप पूछेंगे तो बचपना या बालपन का एक बहुत ही सुखद स्थिति के रूप में हरेक आदमी कहना चाहेगा। अब ऐडल्ट तो उसे होना ही है, बड़ा तो उसे होना ही है, लौटकर तो वह बचपने में जाएगा नहीं, तो बचपने में ही उसके ऊपर ऐडल्टहुड न लादी जाए। पश्चिम में जिस प्रकार की व्यवस्थांए हैं, मैंने बच्चों के सम्मेलन में यू.एन.ओ. में भी और यूनेस्कों में भी बार-बार कहा है कि बच्चे का पहला अधिकार है कि उसका बचपन उसके साथ रहना चाहिए। आप उसके बचपन मे ही अगर उसके ऊपर अगर ऐडल्टहुड की बात डाल दें तो यह तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं कि जो प्रकृति ने उसको दिया है, आप उससे वह छीनकर उसको जबर्दस्ती बूढ़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जबर्दस्ती ऐडल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो हमने ये सारी बातें कहीं, यू.एन.ओ. के डाकूमेंट्स मे हमने इनका प्रवेश कराया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की जो दृष्टि है, वह दृष्टि ठीक है और उसको किसी न किसी रूप में डाकूमेंट्स में जाना चाहिए। मेरे पास वह विवरण है कि कौन-कौन से शब्द, कौन-कौन से पैराग्राफ हमने इस तौर पर यू.एन.ओ. के मसविदे में प्रस्तावित किए हैं। हमने यह भी कहा है कि समाज में एक सतुंलन रहना चाहिए और उस संतुलित समाज के लिए बच्चों का जो भी संतुलित विकास करना है, वह होना चाहिए क्योंकि मै यह मानता हूं और मैं यह समझता हूं कि यहां बैठे हुए सभी हमारे विद्वान माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि भविष्य का विश्व इस बात पर निर्भर करता है कि आज के बच्चे को हम कैसे और किस दिशा में लालन-पालन करते हैं। अगर एक शांतिपूर्ण विश्व की हमें कल्पना करनी है, अगर एक सौहार्दपूर्ण विश्व की कल्पना करनी है, अगर दहशतगर्दी या टेरेरिज्म से मुक्त एक विश्व की कल्पना करनी है, अगर असमानता और विषमता से मुक्त एक विश्व की कल्पना करनी है तो उस दृष्टि से सारे विश्व को, समूचे विश्व को अपने बच्चों

1.00 P.M.

के बारे में गंभीर दृष्टि डालनी होगी और इस बारे में अभी जब बार-बार इस पर विचार हुआ तो मैंने यू.एन.ओ. में ही कहा, यूनेस्को में भी कहा और अभी फिर यहां पर यूनेस्कों को बैठक हुई, उसमें भी कहा कि दुनिया के गरीब बच्चों के लिए अधिक से अधिक धनराशि मिलनी चाहिए, यह न केवल भारत का ही सवाल है, मेरी दृष्टि में यह सारे विश्व से जुड़ा हुआ सवाल है। जो देश बहुत अधिक मात्रा में लोगो से कहा करते हैं कि एक अच्छा विश्व बनाइए और विश्व जनमत के एक प्रकार से अपने आपको प्रस्तोता मानते हैं, उन्होंने यह वचन दिया था कि वे 7 प्रतिशत अपनी जी.डी.पी. का देंगे गरीब देशों और विकासशील देशों के अंदर उनके सामाजिक क्षेत्र के लिए अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए वे अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करेंगे वर्ल्ड बैंक या अन्य संस्थाओं के माध्यम से। यह हमारा बराबर आग्रह रहा है कि यह धनराशि सब देशों को मिलनी चाहिए ताकि बच्चों का एक स्वस्थ विकास हो सके और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में सारा विश्व एक साथ चल सके। अगर विश्व में इस प्रकार के बच्चे रहे कि 1/6 बच्चे तो विश्व के आबादी का अनुपात है 5/6 the of the world today is deprived, उनके बच्चे डिप्राइव हैं, भारत भी इसमे शामिल है। दुनिया में सबसे अधिक बच्चों की संख्या भारत और चीन में हैं और इन बच्चों के विकास **के निर्णय** पर निर्भर करता है कि भविष्य का विश्व कैसा बनेगा। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमें बहुत गंभीरता से, बिना किसी राजनीतिक मतभेद के देखना चाहिए और इस पर हमें समझदारी के साथ काम करने की जरूरत है क्योंकि आज अगर हम इस बात पर चूक गए तो आने वाले दिनों में यह समझा जाएगा कि वे लोग, जो समझदार थे, जो इस बारे में जानते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया और विश्व को एक विभीषका के कगा पर झोक दिया। तो मैं यह मानता हूं कि इस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमारे क्या साधन हैं इसको भी ध्यान में रखकर हमें विचार करना चाहिए। हम उन सीमित साधनों से कैसे अधिक से अधिक काम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए। प्रधनमंत्री इस बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने इस बारे में हमें ताकीद भी की थी कि एक National Plan of Action for Children बनाया जाए। हमने पूरी गंभीरता से इस पर विचार किया है, राज्य सरकारों के साथ भी विचार किया है, विशेषज्ञों से विचार किया है। अब इसका मसविदा शीघ्र ही कैबिनेट के पास जाने वाला है। इन तीनों दृष्टियों से हम विचार कर रहे है। एक तो कानूनी दृष्टि है। दूसरा सामाजिक और राज्य सरकार के साधनों के द्वारा हम कैसे इस काम को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उसे National Plan of Action for Children के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे और वह शीघ्र ही आपके सामने आएगा। ये चार्टर उन तमाम सरोकारों को शामिल करता है जो किसी भी सभ्य देश में अपने बच्चों के लिए किए जाने चाहिए और मैं इसको संसद के सामने प्रस्तुत करता हू इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देंगे ताकि हम देश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकें और उनको अच्छे विश्व नागरिक होने की तरफ प्रेरित कर सकें। हमारे देश की बहुत पुरानी बच्चों के बारे में धारणाएं है, हमने तो यहां बालगोपाल की कल्पना की है और भगवान

को हमने बच्चों के रूप में देखा है । हमारी जो ये सांस्कृतिक मान्यताएं है, उनको भी हम इस चार्टर से पूरा कर सकते हैं और हमारे जो आज के Compulsions हैं, जो अनिवार्यताएं हैं, उनको भी हम देखें, अपने साधनों की सीमाओं को भी हम देखें और किस तरह से हम इनके अंतर्गत रहकर अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छे और सुनहरे विश्व के माननीय नागरिक बना सकते हैं, इस दृष्टि से यह चार्टर इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं । मैं समझता हूं कि सदन इस पर अपने गंभीर विचार प्रकट करेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I adjourn the House for lunch बच्चों के ऊपर यह जो डिस्कशना हो रहा है और आपने इस पर सुझाव मांगे हैं, मेरा एक सुझाव है और बहुत दिनों से मैंने इस Inter-Parliamentary Union 3 में भी रखा है और United Nations में भी कहा है कि आज जो war toys and war games हैं कंप्यूटर के, इनसे बच्चों के दिमाग में घृणा, नफरत और War की भावनाएं पैदा होती है। यूनेस्कों का कहना है कि –"War starts in the mind of man", So, we create that impression in the mind of a child. Are we going to have any ban on such toys and computer games?

डा. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और मैं समझता हूं कि इस पर न केवल सदन, बल्कि वे तमाम लोग जो ये फिल्में बनाते हैं, उनको भी गंभीरता से विचार करना चाहिए । आप जो बात कह रही हैं, वह समयाभाव के कारण मैंने नही कही है। मैने पश्चिमी देशों का अध्ययन किया है इसके कारण वहां क्या हो रहा है। वहां एक आठ साल का बच्चा अपने टीचर को गोली मार देता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. That is why I said so.

डा. मुरल मनोहर जोशी : मैंने इस बात को argue किया है। मैंने UNO और UNESCO में कहा है कि आप कहां जा रहे हैं, आप बच्चों को किधर ले जा रहे हैं, आप एक बहुत हिंसक समाज की तरफ अपने बच्चो को धकेल रहे हैं। इन सारी बातों की तरफ ध्यान देते हुए हमको अपने देश में नीति-निर्धारण करना चाहिए और इस सुझाव के बारे में मैं निश्चित रूप से अपने ।&B मंत्रालय के साथियों से कहूंगा, जो इसको देखते हैं। आपकी तरफ से भी यह जाएगा तो इसका और वजन बढेगा । यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ।

उपसभापित : मैं 10 साल से इस पर काम कर रही हूं – to ban the war toys and war games.

डा. मुरल मनोहर जोशी : अच्छे काम मं कभी-कभी ज्यादा लगता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: People want to make more money with these computer games. Now, I adjourn the House for one hour for lunch. Then, we will start the discussion. Thank you very much. The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seven minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (Dr. A.K. Patel) in the Chair.

SHRI RANGANATH MISRA (ORISSA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak. This is a subject that has' no room for politics, and, everyone who really wants the well-being of the country, of the society and a level for Homosapiens to keep for life, would be interested in a scheme for children. Children have, throughout the ages, been considered as the wealth of the country, of humanity, and, of a generation. We have looked upon the problem and looked upon the issue with interest particularly in India, and, our past has devoted attention for building up a good home, for maintaining or sustaining a society at a level, and, ensuring that there is no misdirection so far as children, that is the people of the next generation, are concerned.

Our ancestors have always looked upon the question as a charge and they have tried to find out whether the meters are all right and society is really on even keel to run. Great attention has been given in the past. In fact, our people knew that it is not possible for the Government or the administration in the country to look after this issue. Therefore, they were keen that families be properly moulded, and, every family be turned into a school. Therefore, every home, once upon a time, was a school in this country. The responsibility of breeding children, the people of the next generation, in the right way, and, with the appropriate disposition, was the task of the family. The joint family, which was the foundation in India, which really maintained the discipline of the house, provided the appropriate attention to be given, was the initial school for the child. Children were looked after by the elderly people, who had lived their life, who were no more able to earn by working outside. They were at home, ladies and elderly persons, they constituted this basic schooling facility for the child. Greater attention was given to character, picking up the good things from the environment, respecting the elders and maintaining an even flow of knowledge, knowledge of appropriate levels. That is how the basic school gave training to the child upto age five or six at home and made him ready for joining a regular school in due course, thereafter to join a societal institution which would be a regular school. That is how, full attention

was given, grounding was made and the child, by the age of five or six, when he was school going, had been equipped with the culture, the outlook, the appropriate way of looking at things, in a childlike fashion, not as if he were an author or a capable person. But, the grounding having been provided or given, schooling became possible. What was learnt in childhood is never forgotten and that became the essence of the foundation. Scientists are endorsing what our ancestors had known that learning starts when the child is in the womb of the mother. Mythology supports it. In fact, some of our heroes in their mother's womb were learning what was going on outside and that was getting recorded. If that is so, learning for a child, even in a modern home, would be starting at the age of two, three or maximum four. The exposure to right things is necessary at that stage. It is easy to learn and difficult to give up. Suppose, a wrong thing is learnt and you want it to be eradicated, you want it to be thrown out, eschewed out, it is indeed very difficult to work out. That is how or why our ancestors were keen that nothing wrong enters into the child. Therefore, the choice is made at that stage of an appropriate elimination of everything bad and insertion of everything good. That was the basic ethics of education and character formation, preparing for a life.

Joint families have gone. For the last 50—55 years, after the Second World War, there has been a total change of the outlook. Therefore, the basic school for the child has vanished. Can Government, can any public machinery take over the responsibility of that joint family which it was discharging is the question. Many people have been talking in different ways, but it is most clear that such a family cannot come back. There cannot be a substitute for that. Therefore, greater attention is necessary to keep the child growing on a proper track and ensuring that nothing, which has to be thrown out, has to be eliminated, is put in or pushed in to the child's formation. The formative years of a child are indeed very tiring period, in the sence, great attention of the parents is necessary. Today's parents have the responsibility of rearing a child, and probably, nothing thereafter. The school, which nearly covers the age of 5 to 11 or 12, is indeed no substitute for that home school. A child comes to school, mixes with boys and girls, mixes with the teachers, but the focal attention which is necessary for rearing a child in the right way is not paid. Therefore, today, after the realisation of the mistake in allowing the home to break, the other mistake is allowing freedom in school in totality. The third mistake

is allowing the child to see all rubbish things outside on the television. The television is one of the nastiest things that can really inhabit along with the human child. And, then with these things accumulating, with these things persuading the child to pick up from society, from the environment, the child at the age of 5 or 7 is going astray. Before we rose in the afternoon for lunch break, Madam Deputy Chairman was pointing out about these arm model instruments. Every month, probably 4 or 5 people die in the hands of children below the age of 8 or 10 in the United States. This is on account of the fact that fun is derived by killing people. Some time back, you may have read that there was a litigation in Scotland against the manufacturers who were manufacturing and distributing the instruments for sale that we have been talked of. Four or five youngsters thought of a picnic. They went out into the garden area, where there were a lot of trees, and a lot of birds, and there were also children, who were playing on the branches of the trees, the lower ones. The children who came with these arms not only killed the birds, but also the young children, trying to find out who would fall first—the bird or the child. That has been the modern outlook of young children. Respect for life has not been passed on to them yet. There is no teaching. How difficult it is to be born in the human form, human shape, was a great attention of our past. That has been totally forgotten. Therefore, in such a world if a child comes out from the mother's womb and gets exposed, how does he or she react? This is the real problem today. And how can we expect, in a large country with about one-fifth of the population of Homosapiens of the whole world, the Government to take over the responsibility of educating these children, making them men and women for the next generation, with the little attention that Government is capable of Bestowing? That is the real situation. And even then, an attempt has been made by the hon. Minister. He is a very capable person in his own way and he has placed before us the National Plan. If anything is most important and deserves priority, [t is probably this document, Everyone should really be sensitised about the problem, the gravity, the urgency, the quantity and the enormity of the matter. And if that is realised, probably, we succeed to some extent. Today, Government have been trying, Minister has been making a serious attempt to put in the right with in the education system. There is a serious attempt also to add to education the quality, the human element, and make iteducatably suitable to the society. In spite of all this, the mischief that has been played on the other side, the effect of science, development,

discoveries and the easy exposure to the wrong element is not bearing any fruit on this side. Everybody is anxious that the right type of education is given to the child. But that is not easy. Parents have no time. Children run away to schools. Parents run away to work. Unless both of them work, it is difficult for them to have a sound income, a sustainable level of existence. Therefore, parents have no time; teachers have a schedule. They learn something in school. Something is learnable; the other, probably, is not. But they are all mixed up, and, therefore, that is the learning; that is the education. That also is available only in the schools at a very high cost, at a heavy cost! Seventy-three years back, I joined an intermediate college. I was paying Rs. 11 as the fees. Today, I understand, my grandson is also in that college. He is paying Rs. 12 ! Rs. 11 of 1939 or 1940 has now become Rs. 12, for the payment of fees. I do not know why the Government does not change it, why the Government does not enhance it. There should be escalation. Money has lost its value, and Rs. 10 of that time would probably, be a minimum of Rs. 300 today. Why do you allow higher education at the cost of the State whereas higher education is not necessary to make a man man? The education that is received in the early period is, really, education to make a man, a human child, man. If at that level you do not educate, if you do not pass on the right messages and do not try to make the child a man, there is no point in trying to make a man by putting a degree later. This is a wrong thing, and the society must understand that everybody need not be keen to get into a college and come out of a university, and if education is properly labelled and, at the proper level, the right education is carried on and given, probably, the man-making process would be properly done, looked after, and a child who has picked up the right things and has learned to eliminate the wrong things has his education. A matriculate should be, probably, educated for that purpose. Therefore, the system should be that there should be more of education imparted in a right way, in a spread-out way and the right issues taught in a right way, picking up the proper things. Then only, probably education has a meaning. Value-based education is a slogan now. It is very difficult to put value into any thing today, and, therefore, it is not succeeding, it is not picking up. Tomorrow is the Universal Declaration of Human Rights Anniversary Day. Fifty-five years back, a man with a hope that the Second World War would have been the last war to fight and would be 'a war to end war' made the slogan. And we tried to rebuild the society. It was a challenge

for resurrection. Resurrection was undertaken certainly by a well-meaning group of people who handled the United Nations, and every thing that is necessary to make the home a good place to live in and education the right approach to make a man, build him up, has been attempted in these 55 years. Stage by stage, from level to level, through right approaches, the United Nations has laboured hard to build a new world and, in 55 years, we have found that war did not end war; it led to wars. Different regional wars have been fought. Probably, an international war has not come. That is all that has been avoided. But more of men and women than that died in the Second World War have died thereafter. More of property than that was lost in the Second World War has been lost now. Therefore, war has not ended and the human mission that this war or the United Nations will bring about an end to war has not come true. But the United Nations has tried its best to give a new concept to the outlook of man and to make the entire world one home. The world has turned one home, not on account of any efforts of anyone particular, but on account of scientific developments, the turn of events that have taken place. I remember, when I was a college-going boy, during the days of Second World War, Windal Wilkey had written a book, "One World". When we were turning the pages we were laughing at it. What a nasty, unreal and not possible approach, a dream! That "One World" has come now without human efforts. It is an imposition today and the United Nations has been attempting to fit into this new culture, new outlook and to make people, the homosapiens race, realise that it is one home. We have realised it thousands of years ago when we said, *"Vasudaivakudumbakam".* But, today, to think of it, it takes time and, conceptually, it is difficult also to have before your eyes a one-world system. But I am happy that, with tomorrow being the 55th anniversary day of the United Nations, today we are talking of a thing which the United Nations is also attending. The rights of the child is one of the Conventions of the United Nations and the rights have been very wide. A lot of things have been given which are very difficult to ensure. But let that be the dream of man because some day it would be achieved and with that goal to reach, let man start working. If that is possible, perhaps, the first step would be really taken.

I am happy that on this occasion, with 24 hours left for the celebration of the United Nations' 55th year, we are discussing about the Draft. The Draft has some minor apparent mistakes. There is nothing like chapters

in the Constitution. There are probably parts. Parts III and IV have been shown here as chapters. Some of the items written, here, probably, An be synthesised and some of the items can be omitted. In the articles which are meant for all, nothing specific for children need be referred to at all because the Indian Constitution gives guarantees and rights. They are uniformly available for children, adolescents and elders. Therefore, there is no necessity to include the eight or nine articles which are providing the right uniformly all in the Charter which is exclusively meant for the children. The rest of it, I find, is in good order and the reference to Part IVA of the Constitution which deals with the fundamental duties is also appropriate. The child must be told and the child must understand for once and all that the rights and duties are reciprocal. There cab be no rights without duties. There can be no duties without rights. They coexist. If duties are performed, rights are automatically generated. If you do not do your duties, even if God comes to serve you, rights will not be available. I have always been of the view that like a suit for specific performance, when you sue for property under a contract or you ask for certain thing to be done, you indicate that you are ready for your part—you have done your part or you are ready to peform your part—when you sue for that, you have to satisfy the court that the plaintiff has done his part of the job, and if that is disputed, the burden is on you to prove that you have done your part. Writ petitions are being filed in these courts indiscriminately, in thousands. Nobody is asked to indicate to be court, "Please satisfy that you have done your part of the work, as a citizen you have behaved." You have done this job, therefore, you are entitled to the return from the State. That should be the demand. That co-relationship has been lost in the Constitution. Part 4(a) appears at a solitary place after part 5. Part 4 (a) is connected with Part 3. There was no reason why it should have jumped beyond Part 4(a) and Part 4. Anyway, that has been done in the Constitution. We cannot do anything at this stage. But the philosophy that duties and rights coexist and they are correlated, and one comes with the other, must be very firmly established in the culture of the country so that people cannot demand from the State their rights, without doing anything, which would be their duty. On the other hand, they do something that probably would not have allowed them or entitled them to the relief, the relief which is available and claimed. Therefore, that education which is proper for a good citizen should be available in the schools from the childhood

and that should be that I do my duty and I get my right. That fits into the philosophy of India

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"

You have your right to work and perform. What will come as its result is not in your hands. If that is done, if that is the outlook, probably the society today would not be suffering the way we have been seeing. People don't do anything. They come and demand. They want to take. Nobody is prepared to give. The philosophy of give and take must generate in this country and that was the real merit of this culture. Therefore, while I agree on principle that the Charter is good and will is there, probably if a little attention is given, some of the provisions can be clubbed together. Some of the provisions which have nothing to do with children in particular, may be eliminated and small corrections here and there may be accepted.

Subject to this, I am happy that the Hon'ble Minister has really placed something which is useful to the society. Thank you.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 पर बोलने और उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 के शुरूआत में अपने वक्तव्य में जो बातें कही हैं ,वे हमें दर्शाती है कि **इस** सरकार के बनने के साथ ही उस ने एक ऐसी रूपरेखा बनायी कि वर्ष 1999 में सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिशासन हेतु जब **राष्ट्रिय** एजेंडा बनाया गया तो उस में इस प्रकार की उदघोषणा की गयी कि सरकार बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा भूखा, निरक्षर या बीमार न रहने पाए ।...(**व्यवधान**)... प्रतिबद्धता जो बताई गई, वह मैं बता रहा हूं, कौशिक जी, अति-उत्साहित मत हों। पहले सुन लें, उसके बाद अगर हजम कर सकें तो करिए नहीं तो उल्टी कर दीजिए। क्योंकि इन प्रतिबद्धताओ ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उत्साह के लिए तो आपने कुछ रखा ही नहीं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इन प्रतिबद्धताओं के साथ राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां बढेगी और राज्य सरकारें अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगी तो ये सारी प्रतिबद्धताएं धरी की धरी रह जाएंगी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पहले राज्य सरकारों के हाथ काट दीजिए। फिर कहिए कि राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सरला जी, मैंने यह नहीं कहा कि राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रहीं। राज्य सरकारों को कुछ करने का एजेंडा दिया जा रहा है कि करिए कुछ, और करिए, और ज्यादा करने की जरूरत है इस बात से तो बात सहमत होंगे कि हर मां या परिवार की हर सदस्य यह तो कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। वह रोता क्यों हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार ग्रेविटेशनल ला आफ अर्थ का मैम्बर बनता है, उसको अपना भार महसूस होता है, इसलिए वह रोता है। कुछ लोग कहते हैं कि नाभी काटी जाती है और नाभी जब तक जुडी होती है तब तक उसका संबंध देव-लोक से बना होता है, वह टूट जाता है इसलिए वह रोता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार सांस लेता है, उसके फेफडें फूलते हैं, इसलिए वह रोता है। अगर वह नही रोए तो डाक्टर को भी चिंता लगती है, दाई को भी चिंता हो जाती है, उसके परिवार के सदस्यों को भी चिंता लगती है। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद जब अपने चारों तरफ का माहौल देखता है और जब वह रोता है- कोई भूख से रोता है, कोई प्यास से रोता है, कोई खिलौने के लिए रोता है, कोई कपडे के लिए रोता है ,कोई मजबूरियों से रोता है, कोई तकलीफ से रोता है, लेकिन उसकी आंखों में आसूं न हों, उसको रोना न पड़े, इस दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। मैं समझता हूं कि आजाद भारत में पहली बार एक चार्टर लाया गया है। बच्चों के बारे में ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : इमरजेंसी में भी आया था।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इमरजेंसी में तो बहुत कुछ हुआ था और उस टाइम किसने ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरल मनोहर जोशी : 1974 में बाल नीति आई थी, बाल चार्टर नहीं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यह चार्टर पहली बार आया है, मैं। यही कर रहा हूं और आज इस चार्टर को मैं राष्ट्रपति जी के पिछले अभिभाषण से जोड़ना चाहता हूं जिसमें उन्होनें कहा था कि 2020 तक भारत डेवलप्ड कंट्रीज के साथ खड़ा होगा और इस वक्त जब बाल चार्टर आ रहा है, आज का बच्चा, जो आज ही पैदा होता है वह 2020 को 16 या 17 साल का होगा या आज जो एक वर्ष का है वह उस दिन 18 साल का होगा । वह युवक होगा, युवा-शक्ति होगा और अगर वह युवती है तो युवती-शक्ति होगी। इस बात से तो किसी को कोई गुरेज नहीं होगा, मेरे ख्याल से सदन के किसी भी पक्ष को कि भारत के सुदृढ़ और सशक्त नागरिक बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों का भविष्य देखना पड़ेगा। चाहे गरीब आदमी हो,चाहे मध्य वित्त परिवार का आदमी हो सारी उम्र उसने खुद जूते नहीं पहने होंगे लेकिन कहीं उसके बच्चे के पैर में काटां चुभ न जाए, कंकड न गड़ जाए, इसलिए वह बिना सरकार की मदद के उसको जूते खरीदकर देता है। खुद उसने सारी उम्र गरम कपड़े नहीं पहने होंगे लेकिन अपना पेट काटकर वह अपने बच्चे को गरम कपडे उपलब्ध कराता है। ताकि कहीं उसे निमोनिया न हो जाए। उसकी कोशिश होती है अपने बच्चे के भविष्य को तैयार

करने की। हो सकता है कि उसे स्वंय पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल न मिला हो लेकिन वह कोशिश करता हैं कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजकर उसका भविष्य बना सके। यह हर मां-बाप का सपना है, हर नागरिक का सपना है और इस सपने में अब सरकार भी जुड़ रही है और जुड़कर उसमें मदद करने की कोशिश कर रही हैं इस चार्टर में यही पहल है।

महोदय, यह चिंता सिर्फ भारत में नहीं है, सारे विश्व में है और यही कारण है कि Education for All Fast Track Initiative – EFAFTI ने कहा कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर इस तरह के प्रावधान लाए जाएं और 2015 तक सबको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह प्रोग्राम UN ने वर्ष 2000 में लिया और भारत की इस गठबंधन सरकार ने 1999 में लिया। उस UN के चार्टर में भी हमारा बहुत योगदान है।

महोदय, सारी दुनिया के बारे में कहा जाता है कि रोज जो 100 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 40 बच्चे कहीं रजिस्टर नहीं होते, वे किसी आंकड़े में नहीं आते, वे इन आकंडों से वंचित हैं। उनमें से 26 बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए किसी तरह का Immunisation नहीं होता, उन्हें किसी तरह का टीका उपलब्ध नहीं होता। इनमें से 19 बच्चे ऐसे हैं, जिनको स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता। इन सौ बच्चों में से 30 बच्चे हैं जिनका malnutrition के कारण पहले 5 वर्षो में देहांत हो जाता है क्योंकि उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता। इन सारी चीजों का आकलन करके भारत सरकार ने यह बाल चार्टर लाकर यह कोशिश की है कि हम अच्छे भारत के भविष्य के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए पहले सशक्त बच्चे बनाएं क्योंकि आज का बच्चा कल का सशक्त और जागरूक किशोर है और कल का जागरूक किशोर या किशोरी, आने वाले का युवक या युवती है और आने वाले कल का एक सशक्त नागरिक है। तभी हम कह सकेंगे कि हमारा भारत महन है। वैसे हमने यह नारा बहुत पहले दे दिया था कि "मेरा भारत महान" पर देखा यह जा रहा था कि "मेरा भारत महान" तो कह दिया लेकिन बच्चे भूंखे मर रहे थे, बच्चे शिक्षा सें वंचित थे, बच्चे दवाइयों से वंचित थे। अगर हमारे संविधान के प्रावधान देखें जाएं तो करीब 13 प्रावधान ऐसे हैं, जिनके माध्यम से बच्चों, युवाओं और किशोरों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। पिछले वर्षो में हमने देखा कि हमने कई कानून पास किए। पहले तो कई वर्षो तक हमारा देश ऐसे ही चलता रहा और बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के बारे में हम सोचते रहे। बाल श्रम निषेध और अधिनियम 1986 में पास किया। किशोर अपराध न्याय-बच्चों को संरक्षण और देखभाल अधिनियम, 2000, शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतलें एंव शिशु आहार का नियम पास किया। 1992 में। प्रसव पूर्व वैधानिक तकनीक, अगर गर्भवती मां ही स्वस्थ नहीं होगी तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे देगी। उसका भी ख्याल रखा है कभी ? कौशिक जी आपको बोलने की आदत है इसलिए। और यह बोलना बंद करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं। जब बोलने लगूंगा तो फिर आप बोल ही नहीं सकेंगे सदन में

विकलांग व्यक्ति-समान अवसर अधिकार संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995, अनैतिक पणन निवारण अधिनियम-1956, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, अल्प व्यय व्यक्ति अपानीकर प्रकाशन अधिनियम – 1956, महोदय, जब मंत्री महोदय कह रहे थे तो ऊपर से पीठासीन महोदया ने कहा कि हम बच्चों के खिलौने का रूप कम्प्यूटर गेम का रंग बदलें। बात बहुत सही कही। किन्तु हमारा देश गांव का देश है। कम्पयूटर गेम गांवों में नहीं है। पर हां, जरूर छोटी-छोटी बंदूकें, प्लास्टिक गंस ये उपलब्ध हो गई हैं। और छोटे-छोटे बच्चे और किसी को नहीं तो अपने दादा-दादी को या नाना-नानी को ही धमकाने के लिए हेंडसअप कराने के लिए तैयार खड़े हैं। यह प्रचलन अच्छा नहीं है। और यह प्रचलन आ कहां से रहा है – यह कंज्यूमरिज्म से आ रहा है। जिस तरह से टी.वी. में, सिनेमा घर में और अखबारों में, मेग्जीनों में इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। महोदय, आखिर इन बच्चों को तो वहीं से दीखता है। इसके लिए मंत्री महोदय कोई प्रावधान रखें कि इस पर रोक लग सके। क्योंकि ऐसा वातावरण हम बच्चों को न दे सकें कि इस तरह के प्रलोभन में बच्चे उधर चल पड़े। आज तो प्लास्टिक गन है, कल उनके हाथ में ए.के. 47, ए.के. 56 न आए। उनकी पहचान उनसे नहीं होनी चाहिए। और मेरी कोशिश है, मेरा चेष्टा है और मेरी इच्छा है कि बच्चों के लिए अलग म्यूजियम - जिसमें सभ्यता कैसी थी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सभ्यताएं कैसे आई, संस्कृति कैसे बनी और कैसे ध्वंस हुई – होने चाहिए। पर आज किसी बच्चे को, छोटी उम्र के बच्चे को अगर नेशनल म्यूजियम में ले जाएं तो मैं कहता हूं कि बच्चों को तो क्या बच्चों के दादा-दादी को न समझ आए कि वहां पर क्या पड़ा हुआ है। तो उन बच्चों को बताने के लिए कि आखिर यह मानव सभ्यता आई कहां से, हम हर धर्म में पढ़ाते हैं – चाहे वह हिन्दू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिशिचयन धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो-कि चार तरह के जीवन है। एक मैल से पैदा होता है, एक बीज से पैदा होता है, एक डिम्ब से पैदा होता है और एक गर्भ से पैदा होता है। किन्तु इन जीवो का जीवन कितना है, कैसे इसकी सृष्टि की रचना होती है और कैसे यह समाप्त होता है और कैसे विलीन होता है अगर यह मानव को पता हो, बच्चे को पता हो अपने धर्म से ही, तो शायद प्रकृति की रक्षा हम कर सकेंगे। किन्तु अगर बच्चे को न पता हो और उसके हाथ अगर गुलेल आ जाए तो गुलेल से वह और कुछ नहीं तो गिरगिट को ही मारेगा। और अगर उसको सही पता हो कि-नहीं, इस सृष्टि की रचना में प्रकृति का क्या हाथ है और प्रकृति की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं तो नहीं मारेगा। हम एन्वायरमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं, हम प्रदूषण को रोकने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, हम एड्स की बीमारियों को रोकने के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि बच्चों को शुरू से ही उनकी शिक्षा का अंश अगर हम बना दें, संस्कृति और सभ्यता का कारण वहा अगर हम पढ़ाना सिखा दें तो मैं समझता हूं कि आने वाला कल प्रदूषण रहित होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। आने वाला कल अच्छा होगा, आने वाला कल इतना अच्छा होगा जिसमें हम इस प्लेनेट की रक्षा कर सकेंगे और इसके लिए हमें चिंता में नहीं पड़ना पड़ेगा। किसी चीज का ज्यादा खर्चा करना आज महसूस होता है। बड़े-बड़े लोगों को शिक्षा

दी जाती है ।अगर आप किसी टी.वी. पर एडवरटाइजमेंट देखें, कोई नल खोलकर टूथ ब्रुश कर रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि नल बंद करके रखिए क्योंकि पानी खत्म हो जायेगा । उसमें यह शिक्षा दी जा रही है । यदि यही शिक्षा बच्चे को दी गई हो तो शायद बच्चा ही अपने पिता को बता देगा कि नल बंद करके रखिये क्योंकि आने वाले कल का पानी आपके हिस्से का नहीं है मेरे हिस्से का है इसको आप खत्म मत करिये । इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चो को अपनी प्रकृति की रक्षा करने की शिक्षा देनी चाहिये । अगर इस तरह की कोशिश होगी तो अच्छा रहेगा। सदन में और भी बहुत से विद्वान वक्ता हैं, वे अपने-अपने सुझाव देंगे । मेरे मन में जो भावना थी उसे मैंने व्यक्त कर दिया है । जब में छात्र जीवन में था तो मेरे एक एनसीसी के कमांडर ने मुझे एक बात कही थी । मैं साइंस का छात्र था। एनसीसी के लेफ्टिनेंट का यही कहना था, उसने यह कहा था कि सुरेन्द्र जिंदगी में इतिहास के छात्र कभी मत बनना , कोशिश यह करना कि इतिहास के पात्र बन सको । मेरा भी आज सारे देश के बच्चों को यही कहना है कि इतिहास के छात्र अगर बनना है तो इतिहास के अच्छे गुणो को सीखो और कोशिश करो कि इतिहास के पात्र बनो और इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाय। तुम एक अच्छे वैज्ञानिक बनो, तुम एक अच्छे वकील बनो, तुम एक अच्छे डाक्टर बनो, तुम एक अच्छे साफ्टवेयर इंजीनियर बनो और राष्ट्र का निर्माण कर सको और गर्व से कह सको कि हम एक गर्वीले, सशक्त भारतवासी हैं । यही कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*SHRIMATI VANGA GEETHA (ANDHRA PRADESH) : Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I welcome this National Charter for Children, 2003. I wholeheartedly support this Charter. I also thank you, Mr. Vice-Chairman, for allowing me to speak in Telugu. Sir, I thank you for giving me this opportunity. I wholeheartedly welcome this National Charter for Children 2003. I also thank your good self for giving me permission to speak in Telugu.

Sir, I support this Charter for children and I am sure that this Charter will help us to mould our children into good citizens. Though we have many provisions in our Indian Consitution for the betterment of children, the plight of our children has not improved for the want of efforts by the Government. We are unable to give our children their 'Childhood' that they deserve. There are many reasons like poverty due to which they are forced to take up employment, which negates their healthy growth and development. I appreciate the initiative of the Government for bringing in this Charter. I am sure that the intention of this Charter to secure for every child its inherent right to be a child and enjoy a healthy

† Original translation of the original speech delivered in Telugu.

and happy childhood, to address the root causes that negate the healthy growth and development of children, and to awaken the conscience of the community in the wider societal context to protect children from all forms of abuse, while strengthening the family, society and the nation will be fulfilled.

Sir, of course, we are going to face many problems in the implementation of these provisions. We have given importance to provide every child, early childhood care until they complete the age of six years. Sir, my humble suggestion is that, in order to achieve these goals we have to provide all the required facilities. In villages we find there is a dearth of basic requirements for educating children. The first hurdle is poverty. Especially the backward classes, SCs and SJs do not have the means to educate their children and therefore, do not show any interest in educating them. They engage their children in employment at a very early age due to poverty. For example, fishermen train their children in swimming by throwing them into the sea at a tender age.

We should stress on education, health and complete physical, mental and social development. It should be a combined effort of both the parents and the Government. As there is pervading poverty in our country we have to provide more facilities. Sir, I would like to make a mention of one thing. Through 'Education for All' Scheme many schools are provided with classrooms. My suggestion to the Hon'ble Minister is to encourage setting up residential schools. Such a step will promote education. More residential schools for girl children should be opened.

We are blessed with plenty of natural resources. We are spending crores of rupees to procure oil, and to beautify the tourist spots to attract tourists. But we have been neglecting the children of our nation who are the future citizens and the future of India. It is time that now that we concentrated on the development of our children. Every State has to work towards the development of children. They should provide necessary education and hone the skills of adolescent children so as to make them to become economically productive citizens. In this regard I would like to mention about my State of Andhra Pradesh.

In Andhra Pradesh, we work with full commitment towards eradicating illiteracy. Special study was done to find out as to how many children did not enroll in schools and efforts were made to see that all the children

3.00 P.M.

attended school. Our Chief Minister Shri. Chandra Babu Naidu started many schemes like 'Festival of Education', 'Mother's Participation Scheme' etc. Through these schemes he saw to it that all the parents participated and sent their children to school. Female children were facing problem to go for high-school education, as they had to travel a distance of three to four kilometers. Many of them dropped out of schools. So, our Chief Minister gave 2 lakh bicycles to them so that they could continue their studies. To attract poor children to school, Mid-day Meal scheme was also introduced and children are provided noon meal at school.

If the Centre and State work together and implement all the provisions made in this Charter, we would surely achieve our target. We should mould our talented children into responsible citizens. As we are increasing the number of schools, we are also increasing the number of old age homes. This reflects the relationship that is maintained. So our responsibility increases in making our children develop moral values towards human relationships, society and the nation. We should provide proper teaching aids to school. Many schools do not have proper playgrounds. They do not have sufficient number of teachers.

There is a mention of Article 24 in this Chater which says—"No child below the age of 14 years shall be employed to work in a factory, mine or any other hazardous employment". In my opinion it should be any other employment and the word hazardous should be omitted. Children are employed because low wages can be paid and that they are readily available. That is why they are employed in beedi and cigarette factories, brickkilns etc. Due to poverty parents are forced to send their children for such jobs. In Andhra Pradesh the employers who employed child labour were punished and were penalized. I am proud to say that our State, Andhra Pradesh is the first to take initiative in implementing such schemes. As I conclude, I support the Motion on National Chrater for Children, 2003. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बगांल) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस राष्ट्रीय बाल चार्टर पर बहस कर रहे हैं, आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद । महोदय, मैं उसे शुरू से अंत तक पूरा पढ़ गई लेकिन उसमें मुझे कोई भी ऐसी नई बात नहीं मिली जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करूं बल्कि अभी एक और चीज जो अभी माननीय अहलुवालिया जी ने बताई कि पांच साल पहले चुनाव घोषणा-पत्र में आपने इस बात का उल्लेख किया था। तो फिर चुनाव आने से पहले राष्ट्रीय बाल चार्टर को लाकर आप क्या करना चाह रहे हैं, यह मै समझ नहीं पा रही हूं ।

महोदय, यह बाईस सूत्रीय चार्टर है और एक-एक प्वांइट के कई सब-प्वाइंट्स हैं । सब मिलाकर ऐसा लगता है कि यह एक भानुमती का पिटारा है जिसमें खोजते रह जाएं तो कुछ न मिले और सब कुछ मिल जाए । आप लोग तो उसमें सब कुछ पा जाएंगे और हम लोग शायद कुछ न पाएं, यह हो सकता है । मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगी । लगता है कि ड्राफ्ट बहुत हड़बड़ी में बनाया गया है जैसा कि माननीय रंगनाथ जी ने भी कहा । इसे और अधिक कॉम्प्रिहेंसिव, और अधिक कॉम्पेक्ट बनाया जा सकता था। कहीं-कहीं पुनरावृत्ति है, उसे एक साथ जोड़कर नई शब्दावली में इसे फिर से लिखा जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संसद बच्चों की समस्याओं पर यदा कदा ही विचार करती है, इसलिए यह खुशी का विषय जरूर है कि माननीय मंत्री जी इस चार्टर को लेकर आए हैं और अगर हम सब गंभीर हों तो यह और भी खुशी की बात होगी । जैसे यहां पोस्ट लंच सेशन में बहुत कम सांसद दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही स्कूलों में अगर आप देखें तो पोस्ट लंच सेशन में शिक्षक नहीं दिखाई पड़ते हैं और बच्चे ....(**व्यवधान**)...

डा. मुरल मनोहर जोशी : वे सांसदों से सीख रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : वे सांसदों से सीख रहे हैं या सांसद उनसे सीख रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिलकर जो गलत हो रहा है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यह प्रश्न आपसे करना चाहूंगी । वैसे तो संसद बच्चों की समस्याओं पर बहुत कम विचार करता है लेकिन आप इसे विचार के लिए लाए हैं और आप यह सोच रहे हैं कि इसमे सारी समस्याओं-दैहिक, मानसिक और आर्थिक —का निराकरण आप एक साथ कर देंगे, सब पर विचार कर लेंगे और हमारे सारे कर्तव्य एक साथ पूरे हो जाएंगे । लेकिन बच्चे बेचारे न तो वोटर हैं, न उनका कोई प्रतिनिधि ससंद में हैं पर यह चार्टर ज़रूर चुनाव घोषणा-पत्र जैसा लगेगा । ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हम लोग यहां हैं न उनके प्रतिनिधि ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : हम कहां बच्चों के प्रतिनिधि हैं। हम बच्चों की बहुत कम बातें यहां करते हैं । मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हेडमास्टर साहब की एक जो बात कही, वह मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं भी उसे ग्रहण करना चाहूंगी अपने जीवन में कि हम बच्चों का अगर सम्मान करेंगे तभी बच्चे बड़ो को सम्मान देंगे । सम्मान करने की बात जब हम उन्हें सिखा नहीं पाते तब बड़े भी सम्मान नहीं पाते हैं । आप एक भयमुक्त, भ्रष्टाचार-मुक्त समाज की बात करते हैं। जब वह समाज ही अभी तक नहीं बन पाया है तो बच्चे भूख से मुक्त, बीमारी से मुक्त, मानिसक आस्थता से मुक्त कैसे हो पांएगे ? यह सपने और जमीनी सच्चाई दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है, और पहली बात तो मैं आप से यह पूछना चाहूंगी कि आप बच्चे की परिभाषा में किन बच्चों को रखना चाहते हैं? यहां वंगा गीता जी ने तेलुगु में बोला, मैं बंगला में तो नहीं बोलूंगी । मैं बंगाल से आती हूं । मुझे बंगाल का एक शब्द बहुत अच्छा लगता है। हम हिन्दी में कहते हैं, बच्चों को हमने पाल-पोस कर

बड़ा किया और बंगला में उसके लिए शब्द हैं , 'बाचादेर मानुष कोरलम' मतलब बच्चों को मुनष्य बनाया। वे बच्चे जो गीली मिट्टी की तरह होते हैं उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने की चेष्टा ही समाज का दायित्व होना चाहिए जिसके लिए हम हिन्दी में परवरिश और पालन शब्द रखते हैं। वह बंगला में है,मानुषकरा मनुष्य बनाना और यह मनुष्य बनाने का काम करना ही वास्तव में हर अभिभावक का, हर नागरिक का, हर मनुष्य का धर्म होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। अगर हम सब मिल-जुल कर इसके लिए गंभीर है तो निस्सन्देह एक दिन ऐसा भारत बनेगा, ऐसा देश बनेगा जिसमें बच्चों को उन तकलीफों से मुक्त कर सकें। लेकिन बच्चे की परिभाषा कहां स्पष्ट हो पाती है? पहले तो हम यह तय करें कि यह जो चार्टर आया है, वह किन बच्चों के लिए है। उस बच्चे के लिए जो अभिजात्य वर्ग है, उस बच्चे के लिए जो सम्पन्न वर्ग का है, उस बच्चे के लिए जो गरीब कहलाता है, उस बच्चे के लिए जो किसी भिखारी का बच्चा है या उस बच्चे के लिए जो किसी दुर्घटना में अपने मां-बाप को खोकर अनाथ हो चुका है। वह बच्चा जो खतरनाक खानों में काम करता है, रोजी- रोटी चलाने के लिए बीड़ी बनाता है,चाक पर मिट्टी चढाता है, जो धागा चढ़ाता है, दंगो और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है, जो कारखानों में कभी-कभी खुद भी पटाखे की तरह जलता और बुझता रहता है, जिसकी अंगुलियां मोमबत्तियां जलाते, बुझाते जल जाती है, झुलस जाती है, मोमबत्तियां बनाते-बनाते जिसकी अंगुलियां मोम की तरह जल जाती है अगर आप उन बच्चों के लिए चार्टर का प्रस्ताव लेकर आए है तो मेरा प्रश्न है कि अब तक बाल श्रम पर जो आयोग और समितियां बनीं, उनकी सिफारिशों का क्या हुआ? क्या उन्हें दीमक खा गई या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। इस चार्टर पर बोलने से पहले मैं वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देख रही थी। उसमें यह उल्लेख है कि आज भी बच्चे 57 प्रकार के ऐसे कामों में लगे हुए है जो सभी बाल श्रम की कसौटी पर गलत हैं। गीता वंगा जी ने भी इन कामों का उल्लेख किया है। ये काम है, रेलवे में माल ढोना, कचरा चुनना, कैटरिंग में काम करना, टेम्परेरी लाइसेंस के साथ पटाखे बनाना और बेचना, कसाई खानों में काम करना, मोटर गैराजों में विस्फोटक और ज्वलनशील ले जाने और ले आने में, हैंडलूम खानों और प्लास्टिक कारखानों में बीड़ी, प्लास्टिक ,कारपेट, अभ्रक, कपड़े रंगने, चमेड़ रंगने, साबुन,काज,अगरबत्ती, जुट, टैक्सटाइल,पेपर बनाने आदि के। एक बड़े ही दुख की और बात है कि इन दिनों दक्षिण भारत में एक नई बीमारी विकसित हुई। वहां बच्चियां की जितनी बड़ी लम्बाई है उतनी बड़े प्लांट्स जैसे बेले और चमेली के प्लांट या चमेली के फूलों को चुनने के लिए उन बच्चियों को ही प्राथमिकता से नौकरी दी जाती है क्योंकि लोग कहते है कि महिलाओं को झुक कर चुनना पड़ता है। अगर बच्चियों की लम्बाई पौधों के बराबर ही है तो वे
फूल तेजी से चुनती है। एक-दो महीने पहले कई अखबारों में यह संवाद आया था कि इस तरफ फूलों को चुनने के लिए बच्चियों को प्रथमिकता देकर बाल श्रम की अवमानना की जा रही है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि बाल श्रम पर इतने आयोग और समितियां बनीं, रायल कमीशन ऑन लेबर, रेगे कमेटी,

गुरूपद स्वामी कमेटी, सनत मेहता कमेटी और उसके बाद इन सबकी सिफारिशों को लेते हुए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेग्युलेशन 1986,रायल कमीयशन से लेकर सनत मेहता ने में किसी न किसी रूप में बाल श्रम की परिभाषा से लेकर उसके दायरे तक विचार करते हुए अन्ततः बाल श्रम को गैर-कानुनी सिद्ध करते हुए, इसे बैन करने की सिफारिश की । किन्तु अभी तक नौ दिन चले अढाई कोस की रफ्तार से आजादी के 56 वर्ष बाद भी बच्चे बाल श्रमिक है । बंधुवा मजदुरों की जिंदगी से मुक्त नहीं हो पाएं है । बड़े-बडे महानगरों में जब पुस्तक मेला लगता है तो आपने भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में दीन, दरिद्र बच्चे जिन्हें हम भिखारी का सम्बोधन बख्स पाए हैं, आईसक्रीम की चम्मचें चाटते, चाय या काफी के उचिछष्ट से दो-चार बूंदे चाय, काफी और कोई पेय पदार्थ पीने के लिए लालायित होकर घूमते रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर हम घूमने जाएं, तो मजदूरी और भीख के बीच त्रिशंकू सा झूलता यह भारत का भविष्य विदेशियों के लिए सुंदर चित्र बन जाता है। कलाकारों के लिए कलात्मक पोस्टर इनकी हालत पर बनाए जाते हैं। बड़ी-बड़ी पोथियों लिखी जाती है। तैलचित्र बनाए जाते है । शीतताप नियंत्रित कक्षों में गुरू गंभीर सेमिनार राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। पर सब कुछ जहां का तहां हो जाता है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि सन 1987 की बाल श्रम नीती का अब तक कार्यान्वयन क्यों नही हुआ और अगर आप कहें कि हो रहा है तो फिर इस चॉर्टर को लाने की तत्काल क्या आवश्यकता थी ? भारत का घोषित उद्‌देश्य लोक हितकारी राज्य की उपलब्धि करना है। इसका अभिप्राय यह है कि हम इस जीवन की उन परिस्थितियों को लाने के लिए दृढतापूर्वक प्रयास करेंगे जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिक का जीवन अभावो से मुक्त होगा और जीवन की सभी वांछित वस्तुए प्राप्त करने की उसे समान सुविधा प्राप्त होगी। ये सारी चीजें हमारी संवैधानिक गारंटी है। लेकिन वह अभी तक कुछ भी नही हो पाया है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, महिला कल्याण, शिशु कल्याण,परिवार कल्याण, युवक कल्याण लेकिन सामाजिक कुरीतियों, अपराध और दुराचार क्या दूर हुआ? सामाजिक सुरक्षा की क्या गांरटी दी गई ? इस चार्टर में सब के लिए शिक्षा की बात भी कही गई है। पर यह शिक्षा भी किस बच्चे के लिए ? अखबारों की खबरें हमें चौकाती है । गांवों के बहुत से आदर्श बाल प्राथमिक विद्यालय लिखें हुए स्कूल तालाब में तबदील हो गए है। करोड़ों रूपये खर्च होते हैं, पर छात्र फर्श पर बैठने को विवश हैं । अधिकाश विद्यालयों में बच्चों के लिए टाट-पट्टी तक नसीब नहीं । अध्यापक कभी आ जाएं तो गनीमत है। बहुत से स्कूलों में तो अध्यापक है ही नहीं । एक ओर शहरों में शीतताप नियंत्रित स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहां अभिजात्य और सपंन्न वर्ग के बच्चों को न तो गर्म हवा के झोकें लगेंगे, न ही शीत लहर के थपेड़े । उनके लिए तो यह चॉर्टर किसी काम आने वाला नहीं है। सर्व शिक्षा का संदेश पहुंचाने के लिए आपके पास कौन सा बुनियादी ढांचा है ? वह बुनियादी ढांचा ही नहीं है। अभी जब गांवों के दूर-दराज इलाकों में सवांद और सूचना की कोई सुविधा ही नहीं, मिड डेमील अभी तक कल्पना में ही चल रहा है, कहीं-कहीं सड़ा-गला अनाज खाकर बच्चे बीमार हो जाते है तो उन अभिभावकों के मन में और भय पैदा होता है कि बच्चों को स्कूलों में भेजा ही क्यों जाए । अनेक आंगनबाड़ी केन्द्र

केवल कागजों पर ही है। अनेक माता-पिता बच्चों का पढ़ाना चाह कर भी मजबूर हैं । उनके बच्चें इधर-उधर काम करके परिवार को आर्थिक मदद देते हैं, खासकर लड़के, बच्चियां छोटे भाई-बहनों को संभालती हैं । उन्हें स्कूल आने जाने के बीच में छोड़ न देना पड़े, वे स्कूल में एडिमशन लें और उसके बाद वे छोड़ न दें , इसके लिए सरकार कौन सी गारंटी करने जा रही है?

यह भी अखबारो में खबर थी कि अरब के देशों में बुतकशी के लिए बच्चों का प्रयोग किया जाता है। बालिकाओं का जितना यौन शोषण हो रहा है, वह किससे छपा हुआ है । इन सब के लिए हम क्या करना चाहेंगे, यह मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे । स्कूली शिक्षा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी । सीबीएससी ने बच्चों के लिए अभी बस्ते का बोझ कम करने के लिए और चौथी क्लास तक परीक्षा से मुक्त होने के लिए एक नीति दी है । सन् 1993 में यशपाल कमेटी ने भी बच्चों को बस्तों के भारी बोझ से बचाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई । स्कूलों में पाठ्यक्रम इतना नीरस है कि उसे बदलने की बहुत जरूरत है । जैसे बच्चों का अपने एनवायरणमेंट से परिचित करने के लिए नया सिलेबस लिखा जाए और प्रकृति को बचाने के लिए, अपने देश के प्राकृतिक ससाधनों को बचाने के लिए बच्चे किस प्रकार मदद कर सकते हैं, इसे भी सिलेबस में कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए । आप बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात इस चॉर्टर में कर रहे हैं । लेकिन बच्चों का विकास तो पूरे समाज से जुड़ा है । कल-कारखानें बंद हो रहे हैं । माइग्रेटेड लेबरर्ज़ की संख्या बढ़ रही है । भूख और गरीबी से टूटे, घर की कलह से जर्जर बच्चों का नैतिक और मानसिक विकास क्या होगा? आपका दूरदर्शन तो बच्चों के बिगड़नें में सोने पर सुहागे का काम कार रहा है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please conclude

श्रीमति चन्द्रकला पांडे : चाइल्ड मॉडल्ज़ जो है उनकी नकल करते हुए बहुत से बच्चे मानसिक भ्रांतियां का शिकार हो रहे हैं , बहुत सी मानसिक ग्रंथियों का शिकार हो रहे है । जिस देश में मां स्वस्थ नहीं है उस देश में बच्चे का क्या होगा और माता की स्वथता के लिए अभी तक सन् 2000 तक 1513 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और अब हमें 4212 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है । वे भी नहीं है । आज कितने शिशुओं की मृत्यु हो रही है, कितने कन्या भ्रणों की हत्या हो रही है । महोदय, अभी अहलुवालिया जी ने उल्लेख किया कि बहुत सारे बिल बन गए हैं, लेकिन समाज से अभी भीइन बुराइयों को नहीं किया जा सका है ।

महोदय, आप मुझे कनक्लूड करने के लिए कह रहे है, इसलिए मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी । मेरा पहला सुझाव है कि खेल-कूद की बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए हर स्कूल में एक ढांचा होना चाहिए । शहरों में वार गेम्स को बंद किया जाए और इस प्रकार के दूसरे हिंसात्मक खेलों पर रोक लगायी जाए । टी.वी. पर भी हिंसात्मक कार्यक्रम न दिखाए जाएं

और बच्चों का दुरूपयोग करने वाले सैकड़ों विज्ञापनों पर भी बंदिश लगायी जाए। स्ट्रीट चिल्ड्रंस में प्रतिभा तलाशने के लिए एक रणनीति बनायी जाए क्योंकि फुटपाथों पर रह रहे बच्चों मे आज भी तानसेन और रवि वर्मा बनने की प्रतिभा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम उन के बीच से किस तरह इस प्रतिभा को निकालकर लाएं। उस के लिए भी एक रणनीति बनायी जानी चाहिए। भीख मांगने वाले बच्चों के लिए नए शेल्टर तैयार करने के लिए व्यवस्था की जाए। खासकर बालिकाओं के लिए रात्रि विश्राम के लिए सुरक्षित आवास बनाए जाएं। माताओं के कामकाज के स्थलों पर क्रैच हों। बच्चों को भारी बस्तों के बोझ से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति दिलाने के लिए एक कानून बनाया जाए और जो संगठन अथवा जो व्यक्ति बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति या संगठन को दण्डित किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या से जुडे डॉक्टर के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन और अनाप-शनाप फीस पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही ट्यूशन के धुआंधार बढते व्यापार पर भी रोक लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) : गांव के गरीब बच्चों के बारे में भी कुछ सुझाव दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल) : श्री जनेश्वर मिश्र।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। तबियत तो करती है कि मानव संसाधन मंत्री जी की तारीफ करुँ.....

श्री संघ प्रिय गौतम : आज तो तारीफ कर ही दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : लेकिन जब बोम्मई साहब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए आयु तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की सुविधा कैबिनेट से मिली थी, लेकिन नए मानव ससांधन विकास मंत्री के जमाने में इसे 6 साल से 14 साल कर दिया गया। इस में कटौती की गयी। इसलिए अगर मैं अपनी तारीफ में कटौती कर दूं तो गौतम जी आप नाराज मत होइएगा। महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं और गंभीर होकर कह रा हूं क्योंकि मैं भी बच्चा रहा हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैं ढाई-तीन साल का था तो हमारे घर एक हरिजन बुढ़िया आई। हमारी मां ने कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो इस ने तुम्हारे पेट की नाल काटी थी, तुम्हारी मालिश की थी, जब हमें दूध नहीं होता था तो इस ने तुम्हें दूध भी पिलाया था और खिलाया भी था। इतना सुनकर जब मैं उस की गोद में जाने लगा तब तक हमारी दादी ने कहा, खबरदार उसे मत छूना। तुम हरिजन महिला हो और यह बामन का बेटा है। इस तरह मैंने ढाई साल की उम्र में जान लिया था कि कोई बामन होता है, कोई हरिजन होता है, आप 6 साल के बाद हम को पढ़ाने जा रहे हैं। महोदय, यह मेरे मन का दर्द है कि मैंने दो साल में, तीन साल में पढ़ लिया कि कौन बामन होता है, कौन दलित होता है , कौन हिन्दू होता है और कौन मुसलमान होता है। महोदय, मैं इस दर्द को समेटे रह गया क्योंकि

बोम्मई जी ने कहा था कि पैदा होने के बाद 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाया जाए माननीय जोशी जी ने कहा कि 6 साल से 14 साल तक पढ़ाया जाएगा । इसमें कहीं न कहीं दर्द रहेगा हमारा और मैं चाहूंगा कि उस दर्द को, जो कोई भी देश को चलाए, आज की सरकार हो या कभी की, यह जरूर समझने की कोशिश करे कि स्कूल जाने से पहले बच्चा बहुत कुछ बन-बिगड़ गया होता है।

प्रो0 राही मासूम थे, हमको रजा बहुत मानते थे । लखनऊ में पढाते रहे, तब से उनसे हमारे रिश्ते थे । सिनेमा में भी उन्ही उन्होने काम किया। एक बार उन्होंने अपना दर्द हमको कहा कि थोडे दिनों के बाद हिन्दुस्तान में कोई इंसान नही रह जाएगा। हमने कहा, सर, कि हम लोग तो हैं। उन्होंने कहा कि नही, इंसान हिन्दू हो जाएगा मूसलमान हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, चमार हो जाएगा, यादव हो जाएगा, ठाकुर हो जाएगा लेकिन कोई ईसांन नहीं रहेगा । यह हमारे उस तीन साल की उम्र के दर्द से मिलता-जुलता दर्द और आपने केवल 6 साल के बच्चों के लिए कहा और वह भी निःशुल्क । हमने सलाह दी थी, हम लोग मांग करते रहे हैं कि निःशुल्क क्यों, समान क्यों नहीं ? बिड़ला साहब का बेटा किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, अभी किसी बहन ने वह दर्द बताया, सड़क पर जूते में कील ठोकने वाले का बच्चा सड़क छाप स्कूल में पढेगा तो वह बच्चा कैसे करोड़पति बन सकता है, उद्योगपति बन सकता है? एक जैसा स्कूल होने चाहिए । यह क्यों नहीं ? कलेक्टर का बेटा, अफसर का बेटा, मिनिस्टर का बेटा बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाए-दून में जाए, नैनीताल में जाए, फैंसी स्कूल में जाए लेकिन गरीब का बच्चा बोरा लेकर जाए स्कूल में पढ़ने टाट-पटटी के। वहां के बच्चे को चम्मच से खाना सिखाया जाता है, अंग्रेजी नहीं बोलने पर उनकी पिटाई होती है, हिन्दी फिल्म देखने पर पिटाई होती है और ये मामले मानव ससांधन विकास मंत्री जी की निगाह मे आ चुके हैं । दो तरह का देश, विभक्त मानवता । जिस किसी देश में विभक्त मानवता हुआ करती है वह देश कभी मजबूत नहीं बनता। केवल एक बार हिन्दुस्तान विभक्त हुआ, मान्यवर, आजादी मिलते समय और तब से आज तक हम लोग खडे नहीं हो सके, कोई बुनियादी कदम उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि एक कदम बढ़िया मिला, आजादी मिल रही थी, तब तक देश बंट गया, खून खराबा हो गया, अब हम गरीबी के सवाल पर , दौलत के सवाल पर , भाषा के सवाल पर, पूंजी के सवाल पर कोई भी मजबूत कानून बनाने की हालत में नहीं हैं, चाहे ससंद जितना भी दम मार ले क्योंकि एक बार हमारी हिम्मत टूट गई और होसला एक बार टूटा करता है, लेकिन हिन्दुस्तान के बच्चों को हौसला रोज-रोज टूट रहा है। मैं चाहता था कि इस चार्टर में एक बुनियादी बात उठाई जाती-अनिवार्य, समान, एक जैसी शिक्षा यह जरूर जोड़ा गया होता लेकिन नहीं जोड़ा गया । फिर टूटा हुआ हिन्दुस्तान बनेगा, बंटा-बंटा हिन्दुस्तान, जहां कलेक्टर या कप्तान लोग प्रदूषण के बारे में बहुत बहस करेंगे, जज बने लोग भी बहुत बहस करेंगे कि बड़ा प्रदूषण हो रहा है और उसी प्रदूषण में कोई लड़का स्कूल में पढ़ने के बाद जूते में कील ठोकता रहेगा, उसकी नाक में धुआं नहीं जाएगा । दो तरह का हिन्दुस्तान बन रहा है , दो तरह के बच्चे निकल रहे हैं। हम चाहेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी हमारे जैसे आदमी से भी अगर प्रशंसा पाना चाहते हैं तो निःशुल्क के साथ-साथ समान शिक्षा के बारे में भी अपनी तवज्जो दें ।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि बच्चों को मजबूत बच्चा बनाने के लिए थोड़ा बहुत बचपन को समझना पड़ता है। हम अपनी उम्र से, अपनी निगाह से बच्चे को देखेंगे तो हम बच्चे को समझ नहीं सकते। हम कठपुतली का नाच तो कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल तो सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते। आजकल टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता है, लगता है कि हम लोग बचपन को समझ नहीं रहे हैं, नासमझ किस्म के लोग हैं। प्रोग्राम आता है कि वह बंद गले को कोट पहन मुस्कुराता हुआ चेहरा और अगल-बगल दो बच्चे टाई बांधे हुए। प्रधानमंत्री जी की फोटो होती है, वे खड़े होते हैं, दो बच्चे टाई बांधे खड़े होते हैं, चलो स्कूल चलें और लड़के स्कूल जाने के लिए दौडने लगते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपसे और इस सदन से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कभी अपने गांव में बच्चों को स्कूल जाते समय दौड़ते देखा है? स्कूल से छुट्टी होने पर तो वे जरूर दौड़कर घर आते हैं लेकिन स्कूल जाते समय बच्चा दौडकर नहीं जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 80-82साल के हो गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री जी भी अथाह ज्ञान के मालिक हैं, प्रधानमंत्री जी भी अथाह ज्ञान के मालिक है, इनके अफसर लोगों ने ये क्या बना दिया? ये समझ नहीं सके कि बच्चा कभी स्कूल जाते समय दौड़ा नहीं करता है, वह स्कूल से लौटते समय दौड़ता है। जो हिन्दुस्तान के बचपन को नहीं समझ सकता। वह चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा रहे, किसी भी उम्र का हो जाए, कितना भी ज्ञानी बन जाए लेकिन वह आने वाले 50 साल का हिन्दुस्तान नहीं बन सकता। यह समझना जरूरी है कि बच्चा किस हालत में क्या करता है, तब उसके साथ सामंजस्य करके उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। यह तो मैंने टेलीविजन की तस्वीर के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, इस तरह की तस्वीरें नहीं रहनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बच्चा अपने बड़ों के आचरण से सीखता है। अगर बच्चे की मां उसको गंगा नदी के किनारे लेकर गई और मां ने कह दिया कि प्रणाम करो तो बच्चा पानी को देखकर क्या प्रणाम करेगा क्योंकि वहां कोई चीज तो है नहीं। लेकिन जब उसकी मां खुद झुककर गंगा नदी को प्रणाम करती है, उसका पानी अपने सिर पर चढ़ाती है , तो वह अपनी मां की नकल में गंगा के पानी को झुककर प्रणाम करता है और उसके पानी को सिर पर चढ़ाता है। यह स्कूल की पढ़ाई नहीं है। जब मां बच्चे को शंकर भगवान के मंदिर में आशीर्वाद दिलाने ले जाती है तो वह बच्चा पत्थर की मूर्ति को क्या जाने। बच्चों को आचरण से सिखाया जाता है –कुछ अच्छा भी सिखाया जाता है और कुछ बुरा भी सिखाया जाता है। हमको पहली मर्तबा सिखाया गया कि तुम ब्राह्मण के बेटे हो और वह दलित का बेटा है – यह बुरा सिखाया गया। बहुत सी चीजें हैं तो हमारी परपंरा में पुरानी हो गई हैं, बुरी हो गई हैं। क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है कि पांच साल, दस साल की उम्र तक चाहे उसके मां-बाप सिखाते हों, चाहे उसके स्कूल का मास्टर सिखाता हो कि बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, स्कूल में जो कोई यह सिखाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। एक बार आप कड़ाई के साथ यह कानून बना दीजिए। यहां सांप्रदायिक सदभावना की बात की जाती है। हमें पैदा होते की ब्राह्मण, दलित , हिंदू, ठाकुर, मुसलमान पढ़ा दिया जाएगा तो कभी सांप्रदायिक सदभावना नहीं आ सकती।

दूसरी बात मैं बहुत दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का बच्चा शायद दुनिया में सभी देशों के बच्चों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मार खाता है । मां-बाप मारते हैं, भाई-बहन मारते हैं, होटल में जहां दोना – पत्तल साफ करना पड़ता है, वहां मार खाता है, जहां बीड़ी बनाता है, वहां मार खाता है । इस चार्टर में मानव ससांधन विकास मंत्री जी ने लिखा है कि कुछ ऐसे काम हैं जहां बच्चों का काम करना मना रहेगा । लेकिन कुछ काम हैं जो वह करेगा, अपनी गरीबी के कारण करेगा, मां-बाप की गरीबी के कारण करेगा । दोना –पत्तल बनाने का काम, छोटे-छोटे फुटपाथ के होटलों में बरतन मांजने का काम, यह काम तो वह करेगा । उसकी अपनी मजबूरियां हैं । , मां-बाप की मजबूरियां हैं।
इसके बावजूद उसकी पिटाई होती है, जो भोजन मिलता है, घर मे जो पिटाई होती है, जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाता है, ऐसे में उसकी क्या हालत होगी ? हो सकता है कि जोशी जी जब पढ़ रहे थे, तक किसी प्रिंसिपल ने बच्चों को सिर झुकाकर प्रणाम किया हो लेकिन घर में हर बच्चा एक न एक दिन मार खाता है । यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी अपना-अपना बचपन याद कर लें । हर हिन्दुस्तानी बच्चा एक न एक दिन मार खाता है और एक बार जो मार खा जाता है, जिंदगी भर के लिए उसका हौसला बुलंद नहीं हो सकता है । उसकी हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाती है।

मैं एक बार हटिया मोहल्ला, इलाहाबाद में घूम रहा था। आजकल वह जोशी जी का क्षेत्र है। ईद का त्योहार था। एक आदमी आया, उसने बकरी का दाम पूछा। दुकानदार ने कहा कि 1200 रूपए। उस आदमी ने कहा कि कितना गोश्त होगा, सही-सही बता दो । दुकानदार ने कहा कि हम बता देंगे लेकिन पहले आप रूपया जमा करो । उस व्यक्ति ने रूपया जमा कर दिया । दुकानदार ने गरदन उठाई और कहा कि 13 किलो गोश्त है । हमने पूछा कि यह तुमने कैसे जान लिया ? उसने कहा कि 13 किलो से एक छ्टांक ज्यादा नही होगा हमने पूछा कि रूपया क्यों जमा कराया ? तो उसने कहा कि इनको खरीदना ही था। अब मैं इसको मलाई भी खिलाऊं तो एक बार चिकवा जिसकी गरदन में हाथ डाल देता है, उस बकरी का गोश्त नहीं बढ़ता । एक बार जिस बच्चे के सिर पर या गाल पर किसी बड़ी उम्र के आदमी का चांटा लग जाता है तो उसकी बुद्धि हमेशा के लिए कुंद हो जाती है और उसके हौसले टूट जाते हैं। हम हिंदुस्तानी बच्चों ने बहुत मार खाई है और हिन्दुस्तान के बार-बार गुलाम होने के कारण यदि कोई रिसर्च करके सोचे तो एक कारण यह भी हो सकता है कि हिन्दुस्तानियों ने बचपन में बहुत मार खाई, अपने-अपने घरों में मार खाई, अपने स्कूलों में खाई, बहुत जगह मार खाई । ऐसे कई कारण होंगे उनमें एक कारण यह भी होगा । हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। अमेरिका में कानून है कि अगर कोई बाप भी , मां भी, भाई भी बच्चे को पीट दे तो उसको छः महीने या एक साल जेल भेज दिया जाता है । पुलिस को मालूम हो जाए तो रिपोर्ट होने पर वे एक साल के लिए जेल कर देंगे । तो वहां कोई बच्चे को मारता नहीं है । आज अमेरिका का मालिक बुश है । उनके मामूली से टॉवर पर हमला हुआ था जो उसने ललकार दिया और कहा कि उसको तहस-नहस कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा जिसने ऐसा काम किया है , जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा । मारूंगा दुशमन का आदमी । उसमें हिम्मत थी तो हमला बोल दिया हैं। कभी-कभी दिलेर आदमी भी

राक्षस होता है । मैं दिलेरी को पसंद नहीं करता । लेकिन उसने हमला बोल दिया क्योंकि उसमें हिम्मत थी तथा बचपन में मार नहीं खाई थी । हमारे मालिक भी हैं । इस पार्लियामेंट में जरा से छर्रे निकले तथा कहा कि आर-पार की लड़ाई होगी । छः महीना तक पलटन भेजी गई । दाहिने-बाएं सोचा जाता रहा कि कोई बुरा तो नहीं कह देगा । बचपन में जो मार खाता है वह दाहिने – बांए बहुत सोचता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मार नहीं खाए रहता है वह दिलेर होता है । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । अटल जी की आप जितनी श्रद्धा करते होंगे, जोशी जी करते होंगे उससे ज्यादा करता हूं निजी तौर पर । मैं मानसिक बनावट की बात इस समय कर रहा हूं । हिन्दुस्तान के बार-बार गुलाम होने का कारण भी मैंने बताया है तथा खोजना चाहिए कि क्या यही कारण है और तब आप अपने चार्टर से आप होम मिनिस्टर से या किसी और से कह सकते हैं कि हम ऐसा कानून बनवाएंगे कि हिन्दुस्तान के बच्चों को पीटना एक दंडात्मक अपराध होगा और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले 50 साल का आदमी जो आज बच्चा हैं वह मजबूत आदमी नहीं बन पाएगा । मजबूत आदमी नहीं बनेगा तो मजबूत हिन्दुस्तान भी नहीं बन सकता है । इसलिए हम चाहेंगे कि कहीं न कहीं तो इसको जोड़ना पड़ेगा हिम्मत के साथ । हमने दो-तीन पॉइंट दिए हैं, हमको कोई झंझट नहीं । इस तरह के कानून पर हम लोग क्या झंझट करेंगे । लेकिन ये पॉइंट हैं जिसमें समान शिक्षा, उनके बचपन को समझने के प्रयास है । स्कूल जाते समय बच्चा दौड़ता हुआ नहीं जाता लौटते समय आता है । कैसे उससे दोस्ती की जाएगी । हम जा करके भारी भरकम बन करके बच्चों के बीच में खड़े हो जाएंगे तो वह बच्चा हमको अपना आदमी मान ही नहीं सकता । हमारे बाल सफेद, हमारा, डील-डौल ठीक, कपड़ा ठीक और वह बच्चा नंग-धंड़ग । हमने ऐसा कई बार देखा । हम एक गांव में गए, जाड़े के दिन थे । वहां बच्चे ठिठुर रहे थे और हम चादर ओढ़कर घूम रहे थे । वहां 15-20 बच्चे थे जिनमें एक बच्चा लट्टू नचा रहा था। हमने उनसे कहा कि तुम लोग पढ़ने जाते हो? तो वे डर के मारे कुछ नहीं बोले । हमारे गांव के काशी यादव का घर था। वहां बगीचे में बच्चे खड़े थे । हमने कहा कि ये बच्चे हमसे संवाद नहीं कर पांएगे क्योंकि ये हमको दोस्त नहीं मानते । तो एकाएक हमने बच्चों से लट्टू ले लिया और कहा कि हमको भी नचाना आता है। तो रस्सी लपेट करके हमने लट्टू खींच लिया और वह नाचने लगा । तो बच्चे ताली बजाने लगे तथा समझ गए कि यह तो हमारे जैसा कोई आदमी है। तब उन बच्चों ने बताया कि हम लोग पढने नही जाते । मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि जो लोग देश को चला रहे है तथा उन्होंने आज और पहले कभी भी चलाया हो तो उन लोगों ने बच्चों के बचपन को समझने के लिए नजदीक से कोशिश नही की। थोडे-बहुत ऊपर से पंडित जवाहर लाल नेहरु जी के जमाने में बच्चों के गाल छूकर, गुलाब की कली देकर, उनकी पीठ थप-थपाकर प्यार देने की कोशिश की गई। जो कोई भी सरकार चला रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि नेहरु जी को ही बच्चों का चाचा नेहरु कहा गया । आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों से कहलवाया गया जो उनके चमचे रहे होंगे । लेकिन फिर मै पूछूंगा कि बाकी लोगों को क्यों चाचा कहलवाया गया । मोरारजी भाई थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, विश्वनाथ प्रताप जी थे, नरसिंह राव

जी थे। आजकल अटल जी हैं, क्यों नहीं चाचा कहलवा लेते आप? उप सभाध्यक्ष महोदय, चाचा का एक प्यार हुआ करता है। वह किसी न किसी भाव से दिखाई तो देना चाहिए । क्या वजह है कि पुरानी पीढी का वह भाव बच्चों को दिखाई नहीं पडता है जो किसी जमाने में आजादी मिलते समय दिखाई पडता था । इसके लिए हमको अपने आचरण का भी आत्मालोचन करना पडेगा, केवल जोशी जी का नही, वह जनेश्वर मिश्र का, रामगोपाल यादव का भी कि क्या वजह है। हम दबाकर के बात करना चाहते है, हम पीटकर के बात करना चाहते है, हम बडपन करके बात करना चाहते है, तो हम बचपन को ठीक नही कर सकते हैं ,कडवाहट बनी रहेगी । मै एक मिसाल दूंगा । राम जब देर तक सोते थे और दशरथ अपने समय के राजा थे । राम जब देर तक सोते थे तो दशरथ बोलते थे बेटा उठो, पूरब में लाली छा गई है, चिड़ियाएं चहचहा रही है, प्रकृति खूबसूरत लग रही है। उठो कृपा निधान पंछी वन बोले। आज का बेटा अगर देर पर सोता है, बच्चा है तो चाहे मानव संसाधन मंत्री हों ,गौतम जी हों चाहे जनेश्वर मिश्र हों, भुनभुनाते रहेंगे बड़ा लाट साहब है दिन तक सो रहा है, सहूर नही इसको रह गया है। हम सब लोग जग गए है । हम पूरा अखबार पढ़ चुके है और ये उठ नही रहा हम भुनभुनाते हेंगे, थोड़ा और बिगड़े मिज़ाज के रहेंगे तो जाकर नाक उमेठ देंगे, थोड़ा और बिगड़े मिजाज के रहे तो पानी छिड़क देंगे । इस कडवाहट के वातावरण में जो बच्चा पैदा होगा या आंख खोलेगा वह मर्यादा परूषोत्तम तो नहीं बन सकता । मर्यादा माने डिसिप्लेन । वह सबसे बड़ा डिसिप्लेंड आदमी तो नहीं बन सकता है। उसके लिए पुरानी पीढ़ी और खासतौर से हुकूमत करने वाली पीढ़ी के सद्व्यवहार की जरूरत पड़ेगी । उठो कृपा निधान पंछी वन बोले । एक पुरानी पीढी थी जो बात-बात में बंदूक तान लेनी थी । आजकल सरकार बंदूक वगैरह का आर्डर देती है बच्चों के खिलाफ । सरकार, पुलिस लाठी चार्ज का, टीयर गैस का आर्डर देती है । एक पुरानी पीढ़ी हिरण्यकश्यप वाली थी। जो बात-बात में बंदूक तानती थी, जो प्रहलाद अड़ गया । मैं जोशी जी से कहूंगा कि बच्चों के प्रति, सत्ता पक्ष या जो लोग भी ताकत में हैं, उनका अपना व्यवहार दुरूस्त करना पड़ेगा और नहीं तो थोड़े दिनों के लिए उनके सामने अपने वाली पीढ़ी के लिए मैं कहूंगा कि तुम्हारा आदर्श राम नहीं, तुम्हारा आदर्श प्रहलाद बनेगा । हिरण्यकश्यप के लोगों का मुकाबला करो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो-चार तजवीज दी हैं, हम जानते हैं कि हमारी बातों में तल्खी थी । जोशी जी, स्वभाव से अध्यापक रहे हैं, कड़ी बात बोलने पर बुरा मानते हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं । विपक्ष के नाते कड़ी बात बोलना मेरा धर्म हैं । अपनी बात अगर तल्ख भाषण में बोल दी है तो उनसे क्षमा मांगता हूं लेकिन जो तजवीज दी है उस पर वे जरूर गंभीरता से विचार करेंगे । धन्यवाद ।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this National Charter for Children. The National Agenda for Governance, 1999 enunciated the Government's intention to bring in National Charter for Children, with the aim to ensure that no child remains illiterate, hungry or lacks medical facilities.

Constitutional provisions like Article 21-A which mandates the State to provide free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years; Article 24 prohibits employment of children below the age of 14 years, and Article 45 directs the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years, need to be implemented in letter and spirit. It is absolutely true that the Government has provided resources for growth of children, but they are not adequate as the growth indicators of health, education and nutrition have not yet shown the expected levels of progress. The decline in infant mortality, child malnutrition, low birth-weight babies, illiteracy and out of school children, has been very, very slow and has not kept pace with the results in several other developing countries.

Sir, the Tamil Nadu Government, under the dynamic leadership of Dr. Puratchi Thalaivi, implemented on a war-footing basis a number of schemes towards empowering children. The Cradle Baby Scheme sensitised the women in the State about the value of female children as the Government itself is the guardian of those female children who are thrown out from their respective parental homes. After the initation of the Cradle Baby Scheme, the rate of female infanticide and foeticide has come down drastically in the State of Tamil Nadu, according to the Human Development Report.

Sir, Tamil Nadu is the first State to introduce Noon Meal Scheme to the school children to take care of the aspect of malnutrition amongst children. My leader Dr. Puratchil Thalaivi, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, is committed to the cause of children empowerment and striving steadfastly to improve the condition of children by implementing relevant statutes and envisaging new schemes.

Certain negative social practices and atitudes with regard to children, especially the girl child, have also been brought to light and general public are being sensitised. Sir, all school-going female Adivasi and Scheduled Caste students, studying in +1 and +2, are provided with a bicycle. This is one of the recent initiatives of the Tamil Nadu Government

Sir, the next burning issue is the child labour, which is often used interchangeably with working child or employed child. In India, child labourers who are children without childhood can be seen employed in almost all spheres of formal and informal sectors of the economy. According to the International Labour Organisation Report, there are an estimated 245 million child workers in the world. In India, the situation is very grim,

with estimates of child labourers varying from 12 million to 44 million. India has the largest number of child labourers in the world. States where the child labour population is more than one million are Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra. The Government of Tamil Nadu has been making all the efforts to eradicate the problem of child labour.

Sir it is high time that we should get rid of all the menaces and empower India by empowering children. Let us join hands and resolve to look for children's survival, health and nutrition, standard of living, play and leisure, early childhood care, education, protection of girl child, empowering adolescents, protection of the children with disabilities and the right to be protected from economic exploitation and all forms of abuse.

डा. रमेंन्द्र कुमार यादव "रवि" (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बाल चार्टर, 2003 के समर्थन में उसकी सम्पुष्टि के लिए माननीय मंत्री जी ने अभी प्रस्ताव पेश किया है। भाषण के क्रम में आदरणीय रंगनाथ जी ने कुछ कहा और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने, अहलुवालिया जी ने, चन्द्रकला जी ने , पी.जी. नारायण जी ने अपनी-अपनी बातें रखी । सही मायने में यह वाद-विवाद का विषय नहीं है और हर मामले में नकारात्मक सोच और पहुंच बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात की सराहना करना चाहूंगा कि गर्भस्थ शिशु से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए बोम्मई जी एक प्रस्ताव लाए थे और वर्तमान में आदरणीय जोशी जी ने 6 से 14 साल के बच्चों के संबंध में अपने प्रस्ताव में कहा है-

"अब अभिशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में विहित शपथ के अनुसरण में हम निम्नलिखित राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 की घोषणा करते हैं :

इस चार्टर के पीछे हमारा उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बच्चा होने तथा एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन जीने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार दिलाना, बच्चे के स्वस्थ विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मूल कारणों का निवारण करना तथा परिवार, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाते हुए बच्चों की सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के लिए व्यापक सामाजिक संदर्भ में समुदाय की संचेतना को जागृत करना है ।"

क्योंकि यह प्रस्ताव मानवीय संवेदना से संबंधित है और सरकार के द्वारा एक सार्थक और व्यावहारिक प्रयत्न इस दिशा में किया गया है, इसलिए मैं सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की सराहना करता हूं कि एक व्यवहारिक संवैधानिकता प्रदान करने की चेष्टा की जा रही है। मैं यह मानता हूं कि सरकार का जो संकल्प है, राजनीतिक इच्छाशक्ति है, उसको व्यावहारिक आयाम मिले । इस बात के लिए मैं आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का समर्थन करना चाहूंगा कि शिक्षा समान हो और अनिवार्य हो । चन्द्रकला जी अभी सदन में नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान पांएगे । अहलुवालिया जी ने कहा – इतिहास नहीं, इतिहास का पात्र बनो और

रंगनाथ मिश्र जी ने कहा , "कर्मण्ये वाधिकारस्ते", और कहने का उनका उद्देश्य था कि सरकार अपनी सीमा में जो करना चाहती है, कर्म करने का उनका अधिकार है, फल आने वाला कल बताएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ते रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते रहे हैं, हम कहते रहे हैं कि Child is the father of man. हम कहते रहे हैं – kiddies are industries. अगर हम स्वस्थ, सशक्त, मजबूत, स्वाभिमानी मुल्क बनाना चाहते हैं तो हमें बच्चों को उसके अनुरूप संस्कार डालने होंगे । उन संस्कारों में उनको ढालना होगा । अभी मिश्र जी कह रहे थे जिस दाई ने उनको दूध पिलाया- उनकी माताजी को दूध नहीं होता था- तो दादी जो पुराने विचारों की थी, उन्होंने कहा-वह दलित जाति की हैं । तो यह हम बचपन से सीखते हैं । आग जलाती है,सांप कांटता है।

हमारा सेंस बता देता है कि यह गर्म और यह ठंडा है और हम जिन वैदिक मान्यताओं की बात करते हैं, धार्मिक विश्वासों, आस्थाओं की बात करते हैं तो कम से कम इस मुल्क में, महाभारत में अभिमन्यु एक ऐसा पात्र हुआ जो चक्रव्यूह से निकलने की बात मां के गर्भ से ही सीखा । जरूरी यह है तवज्जह देना चाहेंगे हमारे आदरणीय मंत्री जी, जिनके लिए सबको बहुत आदर है, विज्ञान और साहित्य एक साथ है, मुरली भी हैं, मनोहर भी हैं । जस्टिस मिश्र जी ने कहा था कि जिस समय बच्चा मां के गर्भ में होता है, मां ही जब कुपोषण का शिकार होगी, वह स्वस्थ बच्चे को नहीं जन सकती है । स्वस्थ बच्चे के लिए मां को अच्छा भोजन, आहार, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना चाहिए । हम संस्कार वहां से ग्रहण करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे मजबूत हों, तभी हमारा मुल्क मजबूत हो सकता है और मजबूत मुल्क के लिए बच्चों में संस्कार की नींव पड़नी चाहिए । इसके लिए जरूरी है कि मां का ख्याल बच्चे से पहले किया जाना चाहिए । एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान ने कहा God can not be always everywhere, so he created mother,मां बच्चे के संस्कार के विकास में, निर्माण में, चाहे वह साहित्य हो । अगर मां शिक्षित होगी तो बच्चे भी शिक्षित होंगे । मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा । बुनियादी चीज है कि बच्चे से पहले मां पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह किस वातावरण में रहती है। क्या वह कुपोषण का शिकार है? अगर मां शिक्षित है तो बच्चा भी शिक्षित होगा, संस्कारी होगा ।

अगर बचपन में ही ऐसे संस्कार भर दिए जाएं जिसे छूत, अछूत कहते हैं तब अच्छा बच्चा नहीं हो सकता । जैसा मिश्र जी ने उदाहरण दिया है कि एक बच्चे को स्कूल जाते हुए दौड़ाया गया। जस्टिस मिश्र साहब ने कहा कि आज टीवी जिसे हम दूरदर्शन कहते है, उसमें विज्ञापन होते है, इससे भी बच्चों की कच्ची मिट्टी पर असर पड़ता है । बहुत सूखें हुए बांस को लिबाया नहीं जा सकता । कच्चे बांस को ही हम कोई आकार दे सकते हैं। गीली मिट्टी को हम कोई आकार दे सकते हैं । बच्चे की मुस्कुराहट में, बच्चे के दुख में, बच्चे के रोने में, हर जगह समानता होती है । बच्चा जन्म से नहीं जानता है । वह हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इस धरती पर समाज सिखाता है । जातीयता को जन्म समाज देता है, परिवार देता है, परिवारों में सिमटकर। परिवार का ही बड़ा विकसित रूप है जातीयता जो विभिन्न वर्गों में , सम्प्रदायों में जातियों में लोग बंटे हुए हैं । प्रश्न है कि क्या केन्द्र सरकार या राज्यों की जवाबदेही है? राज्य में

कम से कम प्रतिभाओं की खोज हो तानसेन और रवि वर्मा को गलियों में भी खोजा जाये, चन्द्रकला पांडे ने कहा । हमारे मुल्क में सरकार की मशीनरी है, सरकार की सीमाएं हैं, सरकार के पास व्यवस्था है, आर्थिक संपदा है । हमको तो अपने मुल्क पर दूसरे मुल्कों से गर्व हैं कि हिन्दुस्तान में जीवित लोकतंत्र है । यहां बुश का उदाहरण दिया जो कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगा । जैसे कहा मिश्र जी ने, बच्चे मार खाते हैं, बचपन में और, गुलामी का कदाचित मौलिक कारण बुनियादी कारण यह हो सकता है । प्रश्न है, हमारा धर्म जहां गर्भ में बच्चा मां से सीखता है । मैंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया । हम लोग कहते हैं, लालयेत पंच वर्षाणी, दस वर्षाणी **ताडयेत** प्राप्ते तु षोडसे वर्षो पुत्र मित्रं वदाचरेत । बचपन में ही धर्म की सीख दी जानी चाहिए । हम हिन्दू हैं, हम मुसलमान है, हम सिख है , हम ईसाई हैं । आज कलाम को कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। गालिब, को या इकबाल को कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि "इकबाल" वह पहला मुसलमान है, अगर वह मुसलमान है , जिसने एक सौ वर्ष पहले गायत्री मंत्र का उर्दू में अनुवाद किया था। उस समय हिन्दुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। उस समय गायत्री मंत्र का उर्दू में उन्होंने अनुवाद किया था । "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" लिखने वाला इकबाल, कोई मुसलमान है, हिन्दू नहीं हो सकता । निराला ब्राह्ममण नहीं हो सकते, वे इसांन थे, वे मानव थे, क्या इंसाना की पहचान भूल जाएगी । "पूस की रात" और " कफन" लिखने वाला और होरी की विकलता में महाकाव्यत्व की गरिमा ढूंढने वाला प्रेमचन्द कायस्थ नहीं हो सकता । राजेन्द्र यादव, यादव नहीं हो सकते नामवर सिंह ठाकुर नहीं हो सकते यह मेरी धारणा है। निराला को या ऐसे लोगों को जाति की सीमा से ऊपर उठा कर देखना चाहिए । साहित्य में जीवन होता है, जीवनकी सरसता होती है, जीवन का यथार्थ होता है, जीवन के आदर्श होते हैं और वह बचपन में जैसा हम बच्चे को बनायेंगे वैसा मुल्क बनेगा, वैसा भारत बनेगा, वैसी सभ्यता आएगी और वैसी संस्कृति आएगी ।

सिर्फ एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूंगा, जिसे मां कहते हैं, जिसे हम बेटी कहते हैं, जिसे हम कन्या कहते हैं, इस समाज में वह भेदभाव प्रारंभ से समाप्त किया जाए । आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं । जहां तक गरीबों के बच्चो का **सवाल** है गरीब अपने बच्चे को नहीं मारता है । जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थि हैं, वे जानते होंगे, कहा जाता है कि "चिल्डन आर ए रोज इन द हैंडज ऑफ द पूअर" छोटे बच्चे बीड़ी बनाते हैं , गैरजों में काम करते हैं, वे माता-पिता पर भार नही होते है और तथाकथित अभिजात्य वर्ग के जो लोग हैं, 28-30 साल तक जब रोजगार नही मिलता है, वे घर में बेकार बैठते है । अभिजात्य वर्ग के बच्चे, कुलीन, धनी वर्गो के बच्चे घर में बेकार बैठते हैं । गरीब के बच्चे मां-बाप पर बोझ नही होते हैं। जिस दिन यह मुल्क बहुत समृद्ध होगा बहुत धनी होगा, उस दिन कदाचित अगर सब को यह सरकार रोशनी दे सके, । अगर यह सरकार **सू**रज बन सके , चांद बन सके तो बने, अगर साधन है तो वह भी करे, लेकिन गर्भ में पलने वाले बच्चे से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य और समान शिक्षा दे । मैं तहेदिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसलिए वाद-विवाद प्रतिवाद का और ईमानदारी से कहूं तो इसमें नकारात्मक सोच और पहुंच,

4.00 P.M.

एक अभिशाप होगा। जो हमारा अभिप्रेत है, जो हमारा संकल्प है , उसके लिए मैं सरकार की सराहना और समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

PROF M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Sir, while welcoming this Charter, I would like to express my views on this.

Today's children are the future citizens of our country. They are the custodians of our country. They are the future rulers and the policy-makers of our country. So* one, who cares for the future of our country, must take appropriate care to bring up today's children with health, education and scientific temper, develop the national character in them, train them to shoulder the responsibility and lead the country towards prosperity and unity, and work towards a greater share in the world arena. This kind of a training should be given to our children of today. FOR this, the children must be properly cared and brought up with nutritious food, quality education, social conscience, devotional mind and a sacrificial character and braveness to tackle any situation, brave enough to face any threat from outside and inside, and they must preserve the sovereignty of our country. For achieving this end, our scholarly Human Resource Development Minister is taking utmost care, and by bringing in this National Charter for Children, he has paved the way to achieve the above-mentioned noble causes.

Sir, a meeting was held on 27th August, 2001, with the social scientists of our country under the chairmanship of Dr. Murli Manohar Joshi.our hon. Minister of Human Resource Development, which elaborately discussed the necessity of *a* Charter for children. The National Charter for Children emphasises Government of India's commitment to children's survival, health and nutrition, standard of living, play and leisure, early childhood care, education, protection of the girl child, equality, life and liberty and so on. The Charter stipulates duties of State Governments towards children. It also stipulates duties of children towards family, society and the nation. The hon. Prime Minister had made an announcement about this Charter on the 15th August, 2002. It has now come before the House for discussion and we will be passing this Resolution unanimously.

More than 75 per cent of our population lives in rural areas. In most of our villages, childcare is not up to the standard and up to our expectation. Most of them are not able to get one square meal a day. Though the parents have the first responsibility to provide nutritious food, quality education and training, the responsibility of the society,

the State Governments as well as the Central Government is foremost. Even in urban areas, especially in big cities, childcare is not up to the standard that we expect. Even in a city like Delhi, we see young children begging for food. We see some *dadas* engaging small children for begging in buses, in corners of roads and so on. Those *dadas* take away most of what these children collect and give them only a nominal amount. This is a very ugly situation that we see in our capital, Delhi, as also in Calcutta, Madras and Mumbai. We are sitting here and discussing all these things, but the situation outside is much worse. It is high time we should think of taking some strong action. I am given to understand that these *dadas* mutilate young children so that they attract the compassion of passengers and get more money. This is a very cruel situation that is prevailing in our country. I request the Government to take appropriate action in this regard.

Now, so many young female-children were killed in many areas. It was reported in newspapers. Sometimes even a male-child is sacrificed before some deities in some areas. It is all reported. The condition of our children is very grave. So our responsibility is also very great. It is high time this Charter should be implemented.

I really welcome this National Charter for Children at this juncture. It is only after 56 years of our Independence that we are able to bring forward such a Charter; now, we have to implement it. For serving this noble cause, we have to form State-wise committees and Central monitoring committees comprising of social scientists, educationists and representatives of charitable institutions. Unless we monitor the activities properly, we cannot ensure proper implementation of the Charter, even though we might have passed it and applauded it. In the Tenth Plan, one of the commitments is to ensure that every child is enrolled in school. So as to honour our commitment to universal elementary education, we have to provide education to children who are either never enrolled or who have dropped out without completing their eight years of elementary schooling. In Tamil Nadu, which has one of the most ancient cultures, we have a piece of poetry dating back to the Tamil Sangam period, which was before Christ, where a woman says, "It is my duty to give birth to a child but it is the duty of the parents to make him great". The duty of the ruler to equip him full and defend the country and it is the duty of the youngman to fight with enemy and kill enemy away to elephant force and defend the

country. It is the duty of the king to make him to defend the country in proper manner and in proper time.

So, it is given in the Tamil verses. So also our great national poet from Tamil Nadu, Subramaniam Bharti had said a lot about the children. He had devoted most of his songs for freedom movement; he passed away in 1933, before our Independence. Even I can say that he had given a children charter also. First, I will give the English version. He asks the children,"You run and play. Never be idling the time. Never scold the neighbours. You be courageous enough to defend yourself against anti-socials."

This is what he says: "If you see an anti-social, don't be afraid of it. You shout at him; you spit at him; you ruin him." That is the diktat he has given. So, even in ancient times, we had given importance to child development and child education. In falling line with this, the DMK Government had given equal right to women in property. It had also announced free education up to 12th standard.

Sir, a lot of discriminations are there in our society. The urban students and rural students are not treated on equal footing. So, the DMK Government at that time had fixed some percentage for rural students. Following that, I request the Central Government and all the State Governments to concentrate on this concept and develop our children of today who are going to be the future citizens of our country. If we fail in this, then they will curse us. That is my last word. With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Shri M.P. Abdussamad Samadani, not present. Shri Manoj Bhattacharya.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I must confess at the very outset that I took this document, which is given to me, as the National Charter for Children, 2003 very seriously. I must also confess that I am not an expert in Constitution. I am not very conversant with the Constitution. Yesterday, in the night, when I was trying to go through it, word-by-word, I was completely confused and today I could learn that there are no such chapters 3 and 4 which the Minister has tried to refer in the Charter. It is only Parts III and IV. Many articles have also been erroneously mentioned here. I find that this is a casual approach from a

very important Ministry, the Ministry of Human Resource Development. If this sort of mistakes are perpetuated, I don't know what will be the future of this Charter. If the words had wings or if the wishes had wings, we all would have gone to the moon. In fact, many words have been used here. But, we have not acted in the right direction or in the direction which were set before us. I must say that the Constitution itself has provided enough scope. Had it been implemented, we would have achieved a lot. It has also been referred in the Charter for the Children, 2003 that the Constitution under the Directive Principles of State Policy, in article 39(e) and (f) lays down that the State shall in particular direct its policy towards securing health and strength of the people. Article 45 says, "The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for a free and compulsory education for all children until they complete fourteen years." More than 50 years have passed; yet, we are in a quandary. Now, the situation has changed! It is not up to 14 years; it is 6 to 14 years. There is this change during the regime of the National Democratic Alliance, right from 1998. It is from 6 to 14 years, not from 0 to 14, not from the mother's womb to 14 years. However, this point has been raised by a number of hon. Members and I am not going to lay much stress on this. I would humbly submit to the hon. Minister of Human Resource Development that he should not take this Charter in isolation from the entire scenario that is existing in the country, or even the international situation; he must see what bearing it has on this country of ours. Labour policy, education policy, social policies, political policies, and everything has to be taken into account. Unless we take everything into account, we can't really implement this. Otherwise, it will simply be a document in history. It will be treated as a document. Moreover, I am sorry to say, this document is being mentioned as, 'from the National Agenda for Governance, 1998.' Why is this delay in bringing in this Charter? I don't understand.

To write this paragraph it would not have taken a maximum of more than 24 hours. It is written in a faulty manner. Why is it brought at the fag end of your rule? This is the fifth year of your rule. Now, you have raised this Charter. If I say this is the component of your future election manifesto, then the answer is—what you have tried to project before the people, you have done some good thing for children too. Whatever is contained in this Charter is contained in the Constitution; not only in the Constitution

but also in different legislative enactments, there is a mention of these, to provide legal protection to children in various occupations that deal with employment of children under 14 years in factories, mines, hazardous employment and creation of regular working conditions for children, etc.

Now my point is, in this country of ours, Dr. Murli Manohar Joshi, a very revered person, will be certainly aware that even the International Labour Organisation estimated the number of child labour. In 1996, it found a figure of 250 million in the developing countries. It said that 61 per cent of the child workers or 153 million child workers were found in Asia, 32 per cent or 80 million in Africa, and 7 per cent or 17.5 million in Latin America. Among these countries, India has the highest share. When there is child labour, it is a forced labour. Either the families are so poor that they are forced to use the children to earn a livelihood for children themselves, or, the children also feed their families.

Sir, I must tell you my own experience. Some years back, I told a thing to a maid, who was working in my house. I advised her to go for some family planning measure. After 10-12 years of her operation, she complained to me, "Dada, you have put me in a difficulty. By having more children, I would have earned more money." Because, they don't feel the responsibility of grooming their children. Because, they can't afford to do so. These children earn for themselves, and they also earn for their families. So, she was accusing me, "You have prevented me from good earning because my child, when she/he is of 5-6 years, would have been in some job. That way, he/she would have earned his or her own livelihood. At the same time, she/he would have been of some help to the family." This is the compulsion in India. In India, the poor people figure is almost 32-36 crores, and they are all langushing in abject poverty. The Government also accepts that they are below poverty-line and those people can't afford to send their children to schools. They can't afford to send their children for a proper education. Neither there are any scopes nor are there any circumstantial situations. In that situation, when you write, "Whereas it is the fundamental duty of a parental guardian to provide opportunities for education to a child within an age of 6-14 years," who are you trying to implicate? Shall we be able to take care of this? Why are we unnecessarily writing this? Because we cannot implicate those poor people. They cannot afford to send their children to schools for education. Rather they would be sent for some jobs that can fetch

some money or that can fetch some food. Therefore, this sort of thing, implicating them or accusing them for not sending their wards or children to schools, is something I do not really understand. What could be the reason for writing this in this Charter? Sir, I must also say that it is also observed internationally that once there is a rise in parents' income, there is a fall in the child labour. I am particularly referring to the problem of child labour. Sir, for instance I would say that in Egypt, the recent experience, 10 per cent rise in mother's wage was found to result in 15 per cent decline in labour among children aged 12 to 14 or a 27 per cent fall or decline amongst 6 to 11 years. In India the same increase could lower the girl child labour force, particularly 9 to 10 per cent minimum. That is the way we should proceed. Mother's income or the parent's income should be assured. Now, how do you assure it? I am giving an example. This is also my life's experience. I have seen it myself. Today Prof. Sankaralingam also moved a resolution or made a Special Mention where he talked about cashew nut plantation workers. In West Bengal in tea gardens in the last four or five years because of the economic policies that are being hotly perused by this Government, not less than 22 tea gardens have been closed down resulting in the loss of job for about 26,000 people. They are all tribal people, mostly the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. Sir, the hon. Minister is aware that the Plantation Labour Act, 1951 prohibits employment of children under 12 and makes provision of education as the responsibility of the employer as also housing, medical and recreational facilities. When these tea gardens have been abandoned by the employers, when these tea gardens have been abandoned by the proprietors.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please conclude.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I will take a few more minutes, please. Now when these tea gardens have been abandoned, thousands of children who were going to school some five years back, they have to be taken out from the schools. Now they are being sent for quarrying and mining. Unless child labour is sent for that, these families will simply starve to death. There are deaths. During the last one-and-a-half year 250 deaths have been reported, deaths because of malnutrition, deaths because of lack of food material, deaths because of poverty. Now this is rampant in this country of ours. If you look at Tamil Nadu and if you look at Kerala, the plantation workers are languishing. Now, what are you going

to do for the children of those families, the families who have lost their jobs in the last four or five years? Some lakhs of factories and establishments have been closed down. The people who were working there, who were having some wages—I do not say decent wages or I do not say living wages—what will happen to the children of those families? How are you going to approach this? Now, on the one side, we shall be promising that we shall have a very good Charter-2003 for the children, on the other side, we shall pursue such a retrograde economic policy, such a retrograde industrial policy that will result in loss of jobs. When the loss of jobs is there, the children cannot be looked after. Only the children of the upwardly mobile middle class can be looked after. These are very good words meant for upwardly mobile middle class and not for the majority of this country. Sir, my humble submission to the hon. Minister is that kindly think of the ordinary people, the people who really constitute India. I really become passionate when talking about them. They are really languishing. None is there to care those children. There is a serious problem of incest in this country of ours. Incest is a perennial problem. The problem of girl child abuse is a perennial problem in this country of ours. We are following such cultural policies, such culture is being promoted, such economic policies are being promoted that attack the girls, that attack the women folk. These things are so rampant even in Delhi, in the National Capital itself. It is a shame. In this National Capital even a foreign diplomat is not being spared. Under such circumstances, what are you going to do for the children? Unless we correct all this, unless we take a right approach to correct all these situations, this Charter will remain only as a Charter. Many charters have been made, but not in the name of Charter, declarations, enactments, etc.; different sorts of promulgations have been made, but nothing has worked up till now. The country is languishing. So, my humble submission is that if at all the hon. Minister or the Government, as on today, is serious at least for children, they should be very serious in taking some wholesome approach. Unless some wholesome approach is taken to correct the entire situation, we shall be landing nowhere; we shall be receding down and down; and, we shall not be existing as a civilized country in the days to come. With these words, I conclude, Sir. Thank you very much.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय । डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने जो सदन के सामने राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 प्रस्तुत किया है,मैं उनसे पहले तो यह जानना

चाहूंगा कि मैं इसे राष्ट्र का 'चेतना पत्र', 'चिंता पत्र' मानूं, 'चिंतन पत्र' मानूं, 'अभिप्राय पत्र' मानूं , 'संचेतना –पत्र' मानूं, आखिर हम इसे क्या मानें? क्योंकि चार्टर से पूरे देश में शब्द तो चला जायेगा लेकिन भावना नहीं जा पायेगी। इस बारे में मंत्री जी विचार करके कुछ ज्यादा स्पष्ट कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी । यह किसी छोटे देश का मामला नहीं है, यह भारत जैसे देश का मामला है । जब हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसमें गुंजाइश बहुत है । जैसा कि हमारे रंगनाथ मिश्र जी ने कहा कि इसमें काफी गुजांइश है और कुछ बातचीत इस पर विस्तार से और हो सकती है । यह देश में अनंत बहस का विषय है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तब हम इक्कीसवीं शताब्दी में इस चार्टर पर यहां विचार कर रहे हैं । बीसवीं शताब्दी निकल गई और इक्कीसवीं शताब्दी में बात कर रहे हैं । आजादी के 56-57 साल बाद बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया है कि आपने यह पहली बार देश के इतिहास में पेश किया है तो मैं समझता हूं कि यदि यह पहली बार भी हुआ है तो भी हमें इसको थोड़ी गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए।

आज मैं चर्चा करते समय दो-तीन बातें ध्यान में ला करके आपसे अपनी बात कहूंगा बहुत संक्षेप में कहूंगा । ज्यादा लम्बी चौड़ी बात आपसे नहीं कहूंगा । आप बच्चों से सीधे जुडे हुए व्यक्ति हैं । प्रोफेसर रहे हैं । आपने बहुत बड़े पदों पर काम किया है और कर रहे हैं। जिस समय हम इस चार्टर पर, अभिप्रेत पत्र पर बातचीत कर रहे हैं , उस समय कैसी पीढ़ियां हमारे सामने हैं जरा इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए । मैं इस शताब्दी के इस अंश को यह मानता हूं कि भारतवर्ष में यह प्रतिभा के विस्फोट का समय है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं या आप, हम बचपन में इतने प्रखर, इतने मुखर या इतने मेधावी नहीं थे, जितने हमारे बच्चे हमारे सामने है। यह हमको स्वीकार करना चाहिए और 1200-1300 वर्षो की गुलामी के बाद जब भारतवर्ष में आजाद सरकार और संविधान के अंतर्गत जब हम ऐसी बात पैदा करते हैं या बहस करते हैं तो कुछ बातें उभरकर सामने आती हैं । आज के हमारे बच्चे पढ़े-लिखें हैं, वे तार्किक हैं । वे केवल बहस नहीं करते हैं, वे तर्क भी करते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी मांगते हैं । अजीब-अजीब प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं। जैसे मेरे पोते ने मुझसे पूछा – आज वह बीस साल का है लेकिन जब वह पांच साल का था तब उसने मुझसे सवाल पूछे थे – वह मुझसे बोला कि "दादा । हमने सुना है कि इस देश में आजादी 15 अगस्त, 1947 के दिन आई, क्या यह सच है?" मैंने कहा कि "हां बेटे । 15 अगस्त, 1947 के दिन आजादी आई हैं यह सच है। वह बोला अगर यह आजादी 15 अगस्त,1947 के दिन आई है तो यहा कहा गई थी?" आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। आज के बच्चे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह देश कभी गुलाम भी था। वे मानने को तैयार नहीं हैं कि भारत कभी गुलमा हो सकता था।

हम यह बात उनको समझायें कि इस देश मे आजादी की लड़ाई हुई थी तो वे हंसने लगते हैं, आजकल तो यह परिस्थिति हो गई है। वर्जनाओं का देश हमने बना दिया है , आज के बच्चे तो और ज्यादा है, किशोर बच्चे, जवान बच्चे, मेरे आंगन के बच्चे हैं , मैंने तो इन पर कविताएं लिखी हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। वर्जनाओं के देश में हम बच्चो से कहते हैं – यह मत कर , यह मत कर, यह मत कर, यह मत कर, यह मत कर। हम उसको मना करते रहे हैं कि यह भी मत कर, यह भी मत कर, यह भी मत कर और बच्चा हमसे पूछता है कि अच्छा पिताजी मैं यह भी नहीं करता हूं, यह भी नहीं करता हूं, यह भी नहीं करता हूं, यह भी नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूं? तो हम झुझंलाकर के कहते हैं कि मेरा सिर मत खा, तेरी मर्जी पड़े वह कर। आप मुझे बताइये, अपने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं हैं। वे हमसे उत्तर मांगते हैं।

मैं जब इस चार्टर पर बात करने के लिए खड़ा हूं तो माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। अपनी जिन्दगी का वह पृष्ठ खोलना चाहता हूं इस सदन में जिसको खोलकर मेरा कोई सहानुभूति अर्जित करने का लक्ष्य नहीं है। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि हम अभी कहां हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब से जब मैंने कभी बातचीत की थी तो मैंने उनसे पूछा कि "भापा जी, आपका इतना यशस्वी जीवन है, इतना ऐश्वर्य आपके पास है, आप आज, इन दिनों भगवान से क्या मांगते हैं"? तो उन्होंने हसंकर मुझसे कहा कि "तुम कवि हो, कविताएं लिखते हो, आज अगर भगवान मुझे मिल जाएं तो मैं उनसे कहूंगा कि तू सब मुझसे ले ले, मेरा बचपन मुझे लौटा दे।" हम सब मांगते हैं , आपने भी कहा था, सब कहते हैं लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भगवान से ......

डा. मुरल मनोहर जोशी : आपने तो इसीलिए अपने नाम में "बाल" रखा हुआ है।

श्री बालकवि बैरागी : पंडित जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। सदन गंभीरता से मेरी इस बात को सुन ले। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा पृष्ठ खोल रहा हूं । अगर भगवान मेरे सामने आज आ जाए और मुझसे कहे कि क्या मांगता है तो मैं उससे अपना बचपन नहीं मांगूगा। मैं नहीं मांगूगा क्योकि उसका कारण है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। साढ़े चार वर्ष की उम्र में मेरी मां ने मुझे जो पहला खिलौना दिया – अभी जनेश्वर मिश्र जी बता रहे थे कि ढाई वर्ष की उम्र की उनको स्मृति है, मैं साढ़े वर्ष की याद करके कहता हूं –साढ़े चार वर्ष की उम्र में मेरी मां ने मुझे जो खिलौना हाथ में दिया, वह था, भीख मांगने का बर्तन और कहा कि बेटे जाओ और पड़ोस से कुछ आटा-रोटी मांग लाओ ताकि इस घर में चूल्हा जल सके, तुम्हारा-हमारा पेट भर सके। यह मेरी जिंदगी थी, मैं स्ट्रीट बैगर था, गलियों का भिखमंगा था और मेरा पूरा किशोर काल भीख मांगने में गुजरा है। आज जब यहा संसद में खडे होकर मैं बच्चों के बारे में बात करता हूं तो मुझे थोड़ा संतोष भी होता है। आज मां याद आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे मांगू उस बचपन को ? मां ने नहीं टूटने दिया लेकिन मेरी सारी पढ़ाई , सारी ऐजुकेशन भीख

मांगकर हुई। पिता विकलांग थे, जन्म से कोई काम नहीं कर सकते थे। एक स्ट्रीट बेगर, एक गलियों का भिखमंगा-भिखमंगा शब्द और भी ज्यादा है, मैं उससे नीचे उतरकर कहूं तो 'मंगता'। मैंने अपमान बर्दाशत किया है, सब कुछ सहा है और मेरी सारी पढाई भीख मांगकर हुई है। ऐसे देश में हम बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं ? मैं आपेस सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। पंडित जी। आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और हम सब पर है। आपके उस वक्तव्य से मैं सहमत हूं कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, जब तक समाज उसमें शामिल नहीं होगा। मैं इससे सहमत हूं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि तीन जगह बच्चे जाते हैं और तीनों जगह उनके साथ दुत्कारना होती है। स्कूलों में जाते हैं तो गुरू और शिक्षक और बाकी जितने लोग होते हैं, सब कहते हैं, गुंडे हैं, आवारा बच्चे हैं, निकम्मे हैं। घर जाते हैं, तो माता-पिता कहते हैं, गुंडा घर में कहां से घुस आया है, वे भी अच्छी नजर से नहीं देखते। सड़कों पर जाते हैं तो सरकार उनको गुंडा कहती है, उन पर लाठी चलाती है , उन पर झगड़े होते हैं। चौथा कोई मुकाम नहीं है कि जहां पर जाकर वे बच्चे सांस ले सकें। जहां जाते हैं, वहां दुत्कारे जाते हैं तो कैसे काम चलेगा ? जनेश्वर जी ठीक कह रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं , बिलकुल ठीक है, चौथा कोई मुकाम नहीं है जहां बच्चे जाएंगे या उनका पालन पोषण हो सकेगा। हम इन पीढ़ियों को पहले खुद तय करें कि हम अपने बच्चों को वसीयत में, विरासत में आशा देना चाहते हैं या निराशा देना चाहते हैं। यदि हम आशा देना चाहते हैं तो निराशा के बीच बोकर हम आशा की फसल कभ नहीं काट सकेंगे। बीज हम निराशा के बोएंगे, उनको गुंडा आवारा कहते रहेंगे, उनका पालन पोषण इस प्रकार से करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? नहीं चलेगा। वे अच्छे देश के बच्चे हैं और मुझे कहने में संकोच नहीं है, संभवतया आपकी नजरों से भी वह बात निकली होगी, आपकी नजरों से वे अखबार गुजरे होंगे-यदि आपने नहीं पढ़े हों तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे विश्व संघ का आया है। उस सर्वे के अनुसार संसार में सबसे ज्यादा उच्चतम आईक्यू वाले बच्चे भारत में पाए जाते हैं और भारत में उच्चतम आईक्यू वाले बच्चे अगर ढूंढने हो तो दिल्ली में चांदनी चौक, जामा मस्जिद और लाल किले के आस-पास गलियों मे खेलने वाले बच्चे ससांर में सबसे ज्यादा आईक्यू वाले बच्चे हैं। ऐसे देश में प्रतिभा का विस्फोट हो जाए, आंगन-आंगन में बच्चे प्रतिभाशाली हों, तब फिर हम यहां बैठकर संसद में उनके बारे में सोचें, विचार करें तो हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गंभीर मामला है। पंडित जी। आपसे मेरा एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। आप शिक्षा मंत्री है इस नाते मेरा एक निवेदन है। कृपा करें, इस देश में केवल दो व्यवस्थाएं थीं, शिक्षा और उसके सीधे बाद दीक्षा होती थी। इनके बीच में एक चुडैल घुस आ गयी है, उसका नाम है- परीक्षा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस चुडैल को निकाल दीजिए। शिक्षा के बाद दीक्षा होनी चाहिए, यह परीक्षा बीच में कहां से आकर घुस गयी? कहीं परीक्षा नहीं होती थी। उन पर नजर रखी जाती थी और गुरू देखते था, उनको पढ़ाने वाला देखता था कि अब यह समर्थ और सक्षम हो गया है, ठीक हो गया है तो कहता था जाओं बेटे, जिंदगी में चले जाओं और जीवन को

जीने की कोशिश करो, ठीक हो गये हो लेकिन जब से यह परीक्ष बीच मे घुसी है , बच्चों ने परीक्षा पास करना शुरू किया है-मैंने जब मैट्रिक पास की तो परीक्षा पास करना । it was a science to pass an examination in those days. क्योंकि साइंस में बराबर गणित का आधार है - दो और दो चार ही होता है पांच नहीं होता है, लेकिन जब आप मंत्री है और मैं ससंद में बैठा हूं तब इस बाल चार्टर पर हम बहस कर रहे हैं, सब पढे-लिखे लोग बहस कर रहे हैं । महोदय, परीक्षा पास करना अब विज्ञान नहीं रहा है,परीक्षा पास करना आज कला हो गया है । हमारे बच्चे कलात्मक ढंग से पास होना चाहते हैं । वे कहां पढ़ते हैं? अब परीक्षा पास करना आर्ट हो गया है । 33 प्रतिशत पर पास होने वाले लोगो ने इस देश को पचास साल तक चला लिया लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। 90 प्रतिशत पर पास होने वाले बच्चे आज आत्महत्यांए कर रहे हैं, मर रहे हैं। पहले परीक्षा का परिणाम आने की तैयारी होती थी तो उस वक्त माता-पिता प्रसन्न होते थे कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है और वे मिठाइयां बांटते थे लेकिन आज जब बच्चो की परीक्षा का समय खत्म होता है और जब रिजल्ट आने का समय होता है तो माता-पिता तनाव में रहते हैं कि ऐसा न हो कि यह बच्चा तनाव में मर जाए। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही **हैं। जिस कॉलेज में चाहता है, उसमें नहीं मिल पाता है और हमारे बच्चे आत्महत्या करके मरते हैं |** 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत आने के बाद भी बच्चों को ऐडमीशन नहीं मिल पाता है। वह जिस विषय में चाहता है , उसमें नहीं मिल पाता है । आज सबसे ज्यादा आत्महत्यांए किसान कर रहे हैं । उसके बाद नंबर दो पर हमारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हम संसद में इस चार्टर पर बहस कर रहे हैं, इसलिए एक तो इस परीक्षा को आप निकाल दीजिए - इतनी कृपा कीजिए । कोई दूसरा सिस्टम लागू कीजिए जिससे कम से कम हमारे प्रतिभाशाली युवा बच्चे मरना बदं करें, वे जीना शुरू करें, जीना सीखे । यह जिम्मेदारी आप पर बहुत ज्यादा है । आप इस देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं इसलिए आप पर यह जिम्मेदारी है और हां, शिक्षा से अगर आप जुडे नहीं होते और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह होता तो शायद यह बात मैं नहीं कहता लेकिन यह बात कहने का मुझे अधिकार भी और आपको इस बात को सुनकर गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए।

अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था। अब मैं अपने बच्चे का उदाहरण दे रहा हूं । मेरे छोटे से गांव में मेरे मकान के ठीक पीछे बकरा काटने वाले कसाइयों का मकान है । एक रोज अस्पताल से ठप्पा लगाकर वे बकरे को ले जा रहे थे । उस वक्त मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तब मेरी मां ने उससे जोर-जोर से पूछा कि यह बकरा काहे को इतना मैं-मैं करके चिल्ला रहा है ? तो मेरे छोटे से बेटे ने कहा कि मां, इसे स्कूल ले जा रहे हैं । यह बिलकुल ठीक बात है ? स्कूल जाने में बच्चों को उमंग नहीं होती, स्कूल आकर्षित नहीं करते, शिक्षक आदर्श नहीं रहे । आज ऐसे-ऐसे लोग एम.बी.बी.एस. करके बैठे हुए हैं जिनसे मैंने पूछा कि एम.बी.बी.एस. का मतलब बता दो , तुम इसको pronuniciate करके बता दो एम.बी.बी.एस. का क्या मतलब है? उनके पास डिग्री है लेकिन वे एम.बी.बी.एस. का मतलब भी नहीं जानते । पता नहीं कौन से विवविद्यालय से डिग्री लेकर आए है या डिग्री खरीदी है, पता नहीं क्या किया है । ऐसे देश में आप इस बात पर कर रहे हैं ।

वैसे भी आप देखते होंगे कि किस-किस किस्म की बातें सामने आ रही हैं गांव-गावं में स्कूल हो गए हैं। दूसरी बात मैं हाथ जोड़कर आपसे यह विनती करता हूं कि स्कूल के बच्चों की पीठ पर से बस्ते उतारने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा-ऐसा एक भ्रम इस देश में चल रहा है। अभी एक अखबार में कल पढ़ा कि दूसरी तक के बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। तीन-चार दिन पहले पढ़ा था कि चौथी तक के बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। यह चौथी तक है या दूसरी **या तिसरी** तक है, लेकिन जब हम बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो हमारे पास तीन-चार किताबें होती थी। आज हमारे पोते-पोती जाते हैं तो बस्ता लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो हमारे पास मुश्किल से एक किताब और कॉपी होती थी और हम पास कर लेते थे।

आज यह वजन का असंतुलन पैदा हो गया है और इतनी किताबें बढ़ गई हैं। दूसरे, हम किस किस्म का पढ़ा रहे हैं? कैसा लिखा जा रहा है बच्चों के लिए ? हमारे पाठयक्रमों की क्या स्थितियां हो रही है? हमारे बोर्ड क्या कर रहे हैं? इस पर तो आपको गंभीरता से गहरी नजर डालनी पडेगी क्योंकि बच्चों के पढ़ने के लायक है भी क्या इस देश में ? किसी भी भाषा में देख लीजिए, बच्चों के लिए लिखने वाले आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कठिन काम है बच्चों के लिए लिखना , मुझे पता है। मैं जानता हूं कि अगर बच्चे मुझसे एक कविता मांग लेते हैं तो पसीना निकल आता है। किसान के लिए और बच्चों के लिए लिखना सबसे कठिन काम है। बहुत आसान है जवानों के लिए लिख देना लेकिन बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है और मैंने खुद लिखा है -

"जबसे हम स्कूल गए हैं,
खेल - कूद सब भूल गए हैं।
सब कहते हैं पढ़ो-पढ़ो,
एक हिमालय रोज चढ़ो।"

हमारे बच्चों रोज एक हिमालय चढ़ते और उतरते हैं। ऐसे वक्त में हम इस ससंद में यहां या वहां, उस सदन में बात करें, तो आपसे हमारी विशेष अपेक्षाएं हैं। कृपा कर रहे हैं कि आप किसान तैयार कर रहे हैं , आप वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं लेकिन हम मनचाहे पाठयक्रम में बच्चों को भर्ती नहीं कर सकते। बच्चे चाहते हैं कि वैज्ञानिक बनें लेकिन वे कहते हैं कि अब वैज्ञानिक के लिए सीटें भर गई हैं, तुम अब आर्ट्स में आ जाओ। आर्ट्स में आ जाते हैं। मुझे मेरी पत्नी का बहुत अच्छा मजाक याद आता है। उसने एक दिन मजाक किया। बॉबी फिल्म लगी थी, हम बॉबी फिल्म देखने गए थे। हमें उसका टिकट नहीं मिला तो हम संतोषी माता देख कर आ गए। आप मुझे बताइए कि हम कौन सी फिल्म देखने चले थे और कौन सी फिल्म देख कर आ गए। वह स्थिति हमारे बच्चों की हो रही है। वह बनना चाहता है वैज्ञानिक लेकिन बन रहा है शिक्षक। टीचर बन रहा है और उसके लिए भी मारा-मारा फिर रहा है। वह बनना चाहता है किसान लेकिन किसान बनने वाले स्कूलों में उसके लिए जगह नहीं बची है, कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्या बनना चाहता है और क्या बन रहा है?

ऐसे में हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं । क्या स्थितियां है? रंगनाथ मिश्र जी ने जो बात कही है वह बुनियादी बात कही है । कुछ न कुछ बैठकर सोचों। आप और हम बराबर के भागीदार हैं इसलिए हम सब सोचें । हम बराबरी के अपराधी हैं । कोई दो राय नहीं है। इस टेलीविजन में जब से ये सौ, डेढ़ सौ चैनल्स ऊपर से बरसने लगे हैं, भगवान जाने क्या-क्या होने लगा है? भगवान जाने आगे क्या होगा? हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ईश्वर जाने क्या होगा? मैं तो आपसे कह ही नहीं सकता । न आप कह सकते हैं और न मैं कह सकता हूं। यशपाल की कहानी मैंने पढ़ी है । उन्होंने जो लिखा है, वह मुझे अच्छा लगा है । हम अपने बच्चों को इतना अनभिज्ञ न समझें-यह यशपाल ने लिखा है । वे आर्य समाजी थे और आश्रम मे पढ़ते थे । उन पर महिलाओं की नजर या छाया नहीं पड़ जाए इसलिए उन आश्रम के बच्चो को रविवार के दिन पहाड़ों पर घुमाने के लिए ले जाते थे । यशपाल स्वयं लिखते हैं कि हम आठ, नौ- दस साल के थे । हमको महिलाओं से दूर रखा जाता था किन्तु तब भी हम बच्चे यह जानते थे कि बच्चा पैदा कैसे होता है? यह यशपाल ने लिखा है । उन्होंने कहा कि हां हम तब भी जानते थे कि बच्चा पैदा कैसे होता है? तब ऐसे देश में आपके सामने इस टेलीविजन से आपके कार्यक्रमों में, हमारे कार्यक्रमों में जो कुछ हम पेश कर रहे हैं, क्या हम सही चीज पेश कर रहे हैं? हम सही दे रहे हैं? उनको ? इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा । कृपा करें । आपका कंप्यूटर जगह-जगह पहुंच गया है । महोदय, हम आज किस मोड़ पर खड़े हुए हैं? जैसा मैंने बताया कि साढ़े चार वर्ष की उम्र में मेरी मां ने मुझे भीख का बर्तन खिलौने के रूप में दिया था । मैंने उससे अपनी जिंदगी शुरू की थी । लेकिन मुझे खुशी है कि आज मेरे आस-पास के बच्चे, पड़ौसियों के बच्चे चाहे गरीब हों, छोटे हो लेकिन उनमें से कई एक के पास में - बहुत बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, बहुत भूखे हैं , बहुत नंगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि कई लोगो के बच्चे आज जिन खिलौनों से खेल रहे हैं उनमें कंप्यूटर शामिल है, आपके कैलकुलेटर शामिल है, मोबाइल शामिल है । दिल्ली में आप और हम देख रहे हैं कि मोबाइल कहां तक पहुंचा है । लड़कों से ज्यादा मोबाइल लड़कियों के पास है । आप खुद देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं । दो-दो मोबाइल हाथों में हैं। अनकमाऊ हाथों में मोबाइल पहुँच गया है ।जो कमाते हीं नही हैं उनकी जेबों में और हाथों में आपको मोबाइल मिलेंगे । ऐसे देश में हम बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं । मुझे इस देश के शिक्षा मंत्री से सिर्फ एक प्रश्न करना है । कवि के नाते सिर्फ एक प्रश्न करना है । हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि चुनाव अभी-अभी गए हैं । कई सभाओं में आपने भी कहा है और मैंने भी कहा है और आगे भी कहेंगे । अभी फिर चुनाव आ रहे है उसमें फिर कहेंगे । ज्यों ही हमारे मुंह पर माइक्रोफोन फिट होता है तो हमारे मुंह से निकलता है, बच्चे देश का भविष्य हैं । बच्चे ताली बजाते हैं लेकिन बैरागी का कवि मन पूछता है कि कहेंगे । ज्यो ही हमारे मुहं पर माइक्रोफोन फिट होता है तो हमारे मुंह से निकलता है, बच्चे देश का भविष्य हैं। यहां तक तो ठीक है लेकिन इस भविष्य का वर्तमान क्या हैं? पंडित जी। जिस भविष्य के पास वर्तमान नहीं होगा वह भविष्य लड़खड़ा जाएगा, भटक जाएगा । इस पर सोचने और कहने

में हमको क्या संकोच हो सकता है ? आप किसी भाषा में जाएं, किसी प्रदेश में चले जाएं आपको आज बच्चे तनावग्रस्त मिलेंगे । आपके अपने बच्चे तनावग्रस्त मिलेंगे । आपको अपने पड़ौसियों के बच्चे तनावग्रस्त मिलेंगे । किसी बच्चे को तनावग्रस्त हम नहीं कर पा रहे हैं । ऐसे में हमारा निदाफाज़ली जैसा शायर लिखता है, "घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।" हम आओ कम से कम बच्चों को हसंना सिखा दें । हम उनकी हंसी पोछ रहे हैं । घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलों यू कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए **हमारे** सामने हमारे बच्चे हंसते रहे, इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा और आपने इसमें जो एक प्रावधान डाला है जिसके लिए मनोज जी ने भी कहा है , जिसके लिए डा. चन्द्रकला पांडे जी ने भी कहा, रवि जी ने भी कहा है कि आपने यह 6 से 14 के बीच में जो मामला किया है यह देश के गले नहीं दतरेगा। आपको, जहां से जन्म लिया है तब से इसको शुरू करना पड़ेगा । कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी । आज पहले 6 साल छोड़ दें और बाद में 14 साल तक की बात करें तो यह काम ठीक नहीं चलेगा । आपको इस देश में पहले दिन से उस बच्चे की जिम्मेदारी ली जा सके, इस दिशा में विचार करना चाहिए । आपको विज्ञापनों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा । कैसे-कैसे विज्ञापन आ रहे हैं। एक तो जनेश्वर जी ने बताया। दूसरा, स्कूल-टाइम, स्कूल-टाइम, तो उसमें जूते दिखाए जा रहे है। पंडित जी । आपको क्या बतांए, स्कूल टाइम हैं तो विज्ञापनों में बच्चों को जूते दिखाए जा रहे हैं। अब उन जूतें वालों से चूंकि चैनल वाले ने पैसे ले रखे हैं इसिलए वे तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कहीं न कहीं हस्तक्षेपह करें । स्कूल जाते समय बच्चों को जूते दिखाने के स्थान पर हम **कम** से कम ऐसी चीज दिखाएं जो कि हो सके और काम में आ सके ।

यह एक गंभीर विषय पर आपने प्रपत्र पेश किया है ।एक गंभीर विषय पर आपने चॉर्टर पेश किया है । एक गंभीर विषय पर, एक बहुत समझदारी का परिचय देते हुए आपने कुछ करने की कोशिश की है । हम तो आपसे सिर्फ यह निवेदन करते हैं कि आज के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, मुखर हैं, प्रखर है, तार्किक हैं, क्षमा कर देना आज के बच्चे बौद्धिक भी हैं और इस देश में आज भी जब तीस-पैंतीस प्रतिशत आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहती है, तब फिर मुझे वह वाक्य याद आता है, जिसमें लिखा था कि गरीब के घर में बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि मानानीय उपसभाध्यक्ष महोदय गरीब के घर में हमेशा बूढ़ा पैदा होता है । मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं । मैं अपने बचपन को तरस गया । मेरा बचपन ही पता नहीं कहां निकल गया । मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन क्या होता है। गरीब के घर में हमेशा बूढ़ा पैदा होता है। तीस प्रतिशत आबादी के घरों में बूढे पैदा हो रहे हैं । बच्चा पैदा नहीं हो रहे हैं । मेरा खुद का बच्चा, कुपोषण में ग्यारह महीने की उम्र में दो आने की दवाई के अभाव में मर गया । यह जिंदगी भी मैंने देखी है। पुत्र शोक मैंने बर्दाश्त किया है और मेरी पत्नी ने पुत्र शोक बर्दाश्त किया है । दो आने की हम व्यवस्था नहीं कर सकते थे । ऐसे देश में मुझे अभी भी आपको याद दिलाना है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और आपने पीढ़ियां पढ़ाई हैं, जब मैं इंटरमीडियट कर रहा था तो मेरे कोर्स में एक आइज़न हॉवर साहब का पाठ था, जो कि बाद में

अमरीका के राष्ट्रपति बने । हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के वे कुलपति थे । उन्होंने एक पाठ लिखा, "An Open Letter to the Parents of America" "अमरीका के अभिभावकों के नाम खुला पत्र" । यह मैं सन् 1947 की बात कर रहा हूं । उस वक्त यह पाठ था। उस वक्त जो चितांएं अमरीका के व्यक्ति ने, उसके कुलपति ने व्यक्त की थी, वे चिंताएं तब भी जीवित **थीं** जब आइजन हॉवर राष्ट्रपति हो गए और क्षमा कर देना माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अमरीका में वे चिंताएं आज भी जीवित हैं, जबकि वह देश अपने आपको प्रगतिशील कहता है । बच्चों की समस्यायें वहां से लेकर यहां तक, वैश्विक समस्यायें उभरती चली आ रही हैं । ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में आप और हम यहां पर बहस कर रहे हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसा मिश्र जी ने सुझाव दिया, इसमें यदि आपको और भी कहीं कुछ कतर-**ब्योंत** करनी हो, पैंबद लगाना हो, तो लगाइये । सदन आपको इसकी सहमति देगा । अपने बच्चों के भविष्य के लिए कौन कहेगा कि ऐसा मत करो । सब कहेंगे कि ऐसा करो । वे खेलें-कूदे, अच्छे और बड़े बनें, किसान बनें, महान बनें और इस देश को हम और अधिक महान बनाएं। लेकिन कुल मिला कर हम उनको कैसा परिवेश दे रहे हैं , कैसा परिदृश्य दे रहे हैं , क्षमा कर देना, हम उन सब को कुल मिला कर कैसी परवरिश दे रहे हैं, यह सारा का सारा चित्र भी हमको देखना पड़ेगा । आज हमारे बच्चों में ईश्वर की ओर से तो मैं पाता हूं कि उनमें कोई कमी नहीं है , हां, हमार ओर से जरूर कमियां है। हम समाज को भी तैयार करे, सरकार को भी तैयार करें और सरकारों को भी तैयार करें । इसके सिवाय बाहर की सरकारों को भी तैयार करें । कुछ बात बाहर की दुनिया से करें, कुछ बात अपनी दुनिया से करें, कुछ अपने अंतर्मन से कर, अपने अंतर्यामी से बात करें और बात करने के बाद हम अपने देश के बच्चों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करे सकें । जाति - धर्म के आधार पर , मिश्र जी ने जो बात कही थी, मैं इस बात से सहमत हूं । अगर हम जातियों में बांट करके सोचेंगे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे । यदि हम वर्णे में बांट करके भी बात करेंगे, तो भी हम इस देश में कुछ नहीं कर सकेंगे । यदि हम वर्गो में बांट करके भी बात करेंगे, तो **हम** इस देशों में कुछ नहीं कर सकेगे । भारत का बच्चा तो भारत का बच्चा हैं , हमको समानता के आधार पर यह करना पड़ेगा ताकि एक ऐसी प्रतिभाशाली पीढ़ी को परवान चढ़ा करके हम उन्हें एक नया परिवेश दे सकें । यदि आपका यह चार्टर, यह 'अभिप्रेत पत्र', 'संचेतना पत्र', अभिप्रायः पत्र', आप इसे 'संकल्प पत्र' कहें, यदि यह **इस** देश को ऐसा वातावरण दे सके तो हम सौभाग्यशाली होंगे और तभी हम अपने बच्चों से कह सकेंगे कि बेटे । जब तुम छोटे थे तो हम भी तुम्हारे लिए चिंतित रहा करते थे वरना तो ऐसा लगता है कि जैसे मौसम के अनुकूल बह जायेंगे, एक वातावरण हो जायेगा और एक औपचारिकता पूरी हो जाएगी । हम इसको एक औपचारिकता मात्र नहीं मान करके कुछ आगे की बातचीत भी करते रहें ।

इन शब्दों के साथ, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय । मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि शायद हम अच्छे पिता, अच्छे अभिभावक, अच्छे नागरिक , अच्छे शासक, अच्छे प्रशासक बना सकें । गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क तो है यह आप भी जानते

हैं। आप गवर्नमेंट हैं और जो ऑफिशियल गैलरी में बैठे हैं, वे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। वे काम करने देंगे तब आप करेंगे और आप जब आदेश देंगे तो वे काम करेंगे। अब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क तो समझते ही हैं । इसलिए हम सब मिलकर एक अच्छी पीढ़ी की निर्माण करें।

महोदय, 21 वीं सदी में हम ने इस सदन में बड़ी-बड़ी बहस कर के ठीक दिशा ली है। अब इसे कर के हम लोग यश के भागीदार बनें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इसे अपना भी सहयोग और समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। धन्वाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. ए. के. पटेल) : श्री ललितभाई मेहता

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी , माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने जो बाल चार्टर, 2003 सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं।

महोदय, बालकवि जी के बहुत ही भावनात्मक भाषण के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं भी उन के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए सिर्फ अपनी ओर से दो-चार सुझाव रखना चाहूंगा। महोदय, हमारी 9 वीं पंचवर्षीय योजना में बाल और महिला विकास के लिए जो प्रावधान किया गया था वह 7 हजार 180 करोड़ 42 लाख रूपए का थी, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च राशि सिर्फ 6 हजार 249 करोड़ 60 लाख है यानी जो **फाइनेंशियल** टार्गेट महिला और बाल कल्याण के लिए तय किया गया था। वह हम प्राप्त नहीं कर पाए। अब इस के क्या कारण है, इस बारे में हमें ध्यान देना होगा। महोदय, मुझे खुशी है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह राशि बढ़ाकर करीबन दोगुनी कर दी गयी है अर्थात् 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल और महिला विकास के लिए, बाल और महिला कल्याण के लिए 13 हजार 780 करोड़ रूपए तय किए गए हैं। महोदय, एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने यहां धनराशि खर्च करने और हमारी व्यवस्था के बीच कोई संबंध रहता है या नहीं के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि धनराशि खर्च करने से आवश्यक तौर पर यह बात हमारे सामने आती है कि उस व्यवस्था के दौरान हम कुछ अच्छे नतीजे निकाल पाते हैं। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था पर अभी माननीय बैरागी जी ने चिंता व्यक्त की और बताया कि आज देश में जो परीक्षा व्यवस्था चल रही है वह निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं। महोदय, यह एक गंभीर पहलू है और इस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जिस रूप से और जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, उस में हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, जो कि शोचनीय हैं। आज आई.पी.एस. बना अफसर और आई.आई.टी से निकला इंजीनियर इस देश में 33 हजार करोड़ रूपए का स्टाम्प घोटला कर सकता है। आई.पी.एस. बना और पुलिस कमिश्नर के रेंक का अफसर कहां तक नीचे गिर सकता है, यह देखकर आश्चर्य होता है। इस से यह बात ध्यान में आती है। कि शिक्षा व्यवस्था में जब तक संस्कार प्रक्रिया नहीं रहेगी तब तक शिक्षा पर हम चाहे अधिका व्यय करें, उस का कोई मतलब नहीं रहता। आज इस देश में

3 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उन में सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास के लिए जो क्षमताएं रहती है, उसे सभी ने मान्य किया है । लेकिन तीन वर्ष तक के बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर हम उस बारे मे ध्यान नही देते तो मुझे लगता है कि बड़े बच्चों के लिए आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं और उस से जो सुफल मिलने चाहिए, वे हमे नहीं मिल पाएंगे । इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शिक्षा की हमारी जो व्यवस्था है और उसके कारण हमारे स्कूलों में जो सिलेबस रहता है उसमें संस्कार, प्रक्रिया की दृष्टि से, शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ होना चाहिए ताकि बालक सोष्टववान बने, मजबूत बने । वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर आगे ले जा सके, इस दृष्टि से हमारी संस्कृत भाषा, जिसमें से संस्कार डालने की सबसे ज्यादा क्षमता है , उसको सिर्फ भाषा की दृष्टि से नहीं बल्कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसमें संस्कार डालने की क्षमता है, तो संस्कार प्रदान करने के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । आज नैतिक शिक्षा की बात बार-बार कही गई है लेकिन वास्तव में देखने को हमको यह मिलता है कि हमारे अभ्यास –क्रम में बालक का नैतिक विकास हो, ऐसी कोई बात नहीं निकलती है । तो नैतिक दृष्टि से बालक का विकास हो, इसके लिए कुछ नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है वह है समाज के प्रति हमारे कर्त्तवय का अभाव । समाजिकता का भाव, समाज की भलाई, समाज का विकास, हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिए और बालकों में यह दृष्टिकोण कैसे आए, इस पर हमें सोचना चाहिए । इसके साथ ही साथ यह भी भावना होनी चाहिए कि हमारा देश , हमारी मातृभूमि , हमारा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे स्मरण है, कि एक चित्र "रीडर्स डाइजेस्ट" में प्रकाशित हुआ था और वह चित्र थी इजराइल का । इजराइल में, एक शाला में सभी बालक पढते थे, तो वहां पर एक चित्र लगाया गया और चित्र यह लगाया गया कि एक बालक जाकर के स्कूल में घंटी बजाता है । वैसे बालक का स्कूल में घंटी बजाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि घंटी बजाने वाली चपरासी हुआ करते है। लेकिन उस बालक ने घंटी इसलिए बजाई क्योंकि सारे अरब राष्ट्र, जो इस्त्राइल के इर्द-गिर्द हैं , उन्होंने इस्त्राइल पर हमला बोल दिया है और उस समय कक्षा में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, देश की सुरक्षा के लिए उनको जाना है इसलिए आज स्कूल की छुट्टी, यह वह बालक कहता है । यानी देशभक्ति का भाव, हमारे देश की सुरक्षा में हमारी भी जिम्मेदारी है, यह बात बालकों के मन में आए इसके लिए उस देश में पूरी व्यवस्था की जा रही है ।ऐसी व्यवस्था हमारे देश में भी होनी चाहिए जिससे देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति के भाव का निर्माण, ऐसा हमारे बालकों की शिक्षा में होना चाहिए ।

मैंने जैसा कहा कि धनराशि की व्यवस्था की जा रही है लेकिन जितनी धनराशि की व्यवस्था करके जो भी प्रोजेक्ट हमने देश में मंजूर किए हैं उतने भी नहीं चल रहे हैं । मेरे पास आंकड़े है कि देश में 5,652 प्रोजेक्ट मंजूर करके दिए लेकिन आज देश में केवल 4608 चल रहे हैं, यानी जितने मूंजर करके दिए उतने भी हमारे देश में अभी नहीं चल रहे हैं।

हमारे देश में बाल विकास और महिला विकास की दृष्टि से कुल मिलाकर 12,00 स्वैच्छिक संस्थाएं काम करती हैं । इतने बड़े देश में, जहां पर 6 साल से कम उम्र के बालकों की संख्या 15,70,86,000 है यानी हमारी आबादी में 15.37 प्रतिशत आबादी 6 साल से कम उम्र के बालकों की हैं, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रख-रखाव के लिए जो कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाएं है उनकी संख्या सिर्फ 12,000 हैं । इसको औसतन हम गिनें तो एक स्वैच्छिक संस्था 13,000 बालकों की देखभाल, रख-रखाव का काम करती है और मेरा यह मानना है कि एक संस्था 13,000 बालकों के लिए चिंता नहीं कर सकती । इसलिए यह संख्या, हमारे देश में स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हम सख्यां को हमे बढ़ाना चाहिए , उन्हें इस ओर आकर्षित करना चाहिए ताकि कुछ और लोग इस तरफ काम करने के लिए जुड़े और इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी ।

आज एक और जो चिंताजनक स्थिति हमारे सामने 2001 की जनगणना के दौरान आई है, वह है हमारा ऐडवर्स चाइल्ड सैक्स रेश्यो । महोदय, 1991 में जो child sex ratio था वह 954 था, वह अब कम होकर 927 हो गया है यानी इसमें 18 प्वाइंट की गिरावट आई है। कई राज्य ऐसे है और उन राज्यों में भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर यह adverse child sex ratio घटकर 852 तक हो गया है, ऐसी परिस्थिति है । इसका कारण यह है कि आज देश में sls selective abrotion के लिए खुलेआम छूट दी जा रही है । मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है, मैं एक बार उसमें सफर कर रहा था। उसमें हर डिब्बे में यह बात लिखी रहती है कि गर्भपात सलामत है, गर्भपात सुरक्षित है और सिर्फ 70 रूपए में आप गर्भपात करा सकते हैं । इसका क्या परिणाम होगा ?

महोदय, हमने इसी ससंद में Pre-Natal Disgnostic Techniques का प्रावधान करके उसे लागू किया है लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं मिल रहे हैं । परिस्थिति यहां तक बिगड़ती जा रही है कि गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांवों में जहां qualified doctors को प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बजाय वहां quacks काम कर रहे हैं। एक किस्सा मेरे संज्ञान में आया था कि किसी couple ने सोनोग्राफी मशीन पर टेस्ट करवाया और उन्होनें बताया कि बच्ची है और वे उस साढ़े तीन महाने के गर्भ के abortion के लिए चले गए । Abortion के समय यह पता लगा कि वह तो लड़का है, लड़की नहीं है । यह बात उन माता-पिता तक न पहुंचे कि यह लड़का है, लड़की नहीं है इसके लिए उस डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उस गर्भ को इतना खराब कर दिया कि पता ही न चले कि वह बच्चा है या बच्ची है । यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है ।

महोदय, हमारे मेडिकल हैल्थकेयर के क्षेत्र में यह जो परिस्थति है, इसका जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बारे में सोचना पडेंगा । महोदय, 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए पोषक आहार की कमी रहती है। जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, यह

बात भी हमारे सामने आई हैं। उनकी फीडिंग के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था नहीं रहती है। हैदराबाद का जो न्यूट्रीशन संस्थान है , उन्होंने जो सर्वे किया था, उसके परिणाम भी हमारे सामने आए है। उनको ध्यान में रखकर हमें बाल विकास के क्षेत्र के लिए इंटिग्रेटेड रूप में कैसे काम किया जाए, यह सोचकर हमें आगे चलना होगा । आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो बात कही है कि reaching every young child in the country. यहां पर एक माननीय सदस्या उल्लेख कर रही थी कि कौन से बच्चे को आप ले रहे हैं ? Reaching every young child in the country- अगर ऐसा लक्ष्य हमने रखा है तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी सुचारू व्यवस्था अगर नहीं की गई तो चार्टर में जो बातें कही गई हैं, उन बातों में और उसके प्रत्यक्ष कार्यान्वयन में अंतर रहेगा और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस दृष्टिकोण से कदम उठाए जाने चाहिए । इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A.K. PATEL): Hon. Members, as an important subject is being discussed in the House, and it is 5 o'clock, so I have to intervene. I have to take the sense of the House whether we should continue the debate or adjourned for tomorrow.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, वैसे भी कल गवर्नमेंट के पास कोई गवर्नमेंट बिजनैस नहीं है, इसलिए इसका कल के लिए रहने दीजिए । कल भी यही हुआ था और हाऊस ऐडजॉर्न हो गया था ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Hon. Members, those who want to speak can do so tomorrow. The House is adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th December, 2003.